

4.1 सूखे के कारण आर्थिक गतिविधियों में आयी मंदी का प्रभाव 2002-03 में सरकारी वित्त पर पड़ा। केन्द्र और राज्यों का मिला जुला सकल राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों की तुलना में कर-राजस्व और विनिवेश में आयी कमी के कारण संशोधित अनुमानों में अपने बजटीय स्तर से सकल देशी उत्पाद (सदेत) के लगभग एक प्रतिशत अधिक हो गया। इसके अलावा, सूखे के संदर्भ में, खाद्य आपूर्ति प्रबन्ध के लिए उच्चतर खाद्य सब्सिडी के रूप में राजकोषीय समर्थन को आवश्यक बना दिया जो पुनः बढ़कर सकल देशी उत्पाद के अंश के रूप में 1991-92 के स्तर पर आ गया। इन गतिरोधों के बावजूद व्यय-प्रबंध में उल्लेखनीय सुधार हुए। केन्द्र ने अपने योजनेतर व्यय में कटौती करके अपने व्यय को नियंत्रित रखा। दूसरी ओर राज्यों का व्यय बजट अनुमानों से अधिक हो गया, परंतु यह अधिक व्यय मुख्यतः ऋण समेकन के लिए पूँजी व्यय में आयी तेजी के कारण था। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यों ने राजस्व व्यय लगभग बजटीय स्तर पर सीमित रखा। व्यय को सीमित रखने में प्राप्त इन सीमित सफलताओं के बावजूद, बजट अनुमानों में आया यह अंतर राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता में आये हास को रेखांकित करता है।

4.2 कर- सकल देशी उत्पाद अनुपात 1990 के दशक के स्तर की तुलना में अपनी वृद्धि को खोता रहा जिससे वह वर्ष 2001-02 तक 1980 के दशक के अंत में प्राप्त स्तर से सदेत के 2 प्रतिशत से अधिक नीचे चला गया। इसने नियमों के सरलीकरण, कर-आधार को व्यापक बनाने, छूटों की समीक्षा करने तथा अनुपालन में सुधार लाने के रूप में कर के क्षेत्र में सुधार लाना आवश्यक बना दिया। बजट वित्तपोषण में सुधारों के बाद ब्याज भुगतानों में तेजी निरंतर बनी रही और केवल 2002-03 में ही इसकी गति में कुछ मन्दी आ सकी। प्राथमिक घाटे में हुए निरन्तर सुधार के साथ 1990 के दशक में पूँजीगत परिव्यय में गिरावट आयी जिससे यह संकेत मिलता है कि ब्याज भुगतानों के रूप में बढ़ते हुए बहिर्गम का भार राजकोषीय व्यय के उत्पादक तत्त्व पर पड़ा है। घाटे संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए व्यय की कटौती को अत्यधिक प्राथमिकता दिये जाने से पूँजी परिव्यय में कटौती पर बल दिया गया है जिसका भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। आर्थिक सब्सिडी पर किया जानेवाला व्यय राजकोषीय समायोजन में अप्रभावी रहा, जबकि सामाजिक मूलभूत सुविधा पर व्यय कम रहा। विनिवेश में बड़े अंतराल से

राजकोषीय दबाव बढ़ गया। इन प्रतिकूल गतिविधियों को प्रतिबिंबित करते हुए ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात नब्बे के दशक के उत्तरार्ध से बढ़ता रहा है और अनुमान है कि मार्च 2004 के अंत में वह सकल देशी उत्पाद के 77 प्रतिशत पर पहुंच जायेगा। लोक ऋण में निरन्तर रूप से (मोनोटानिक) हुई वृद्धि से सरकारी क्षेत्र में बचत करने की और अपनी आंतरिक ऋण चुकौती की क्षमता में कमी आयी। राजकोषीय घाटे की जो “गुणवत्ता” राजस्व घाटे में हुई भारी वृद्धि के चलते कम हो गयी उससे यह संकेत मिलता है कि उधार ली गयी राशि के काफी बड़े अंश का उपभोग व्यय द्वारा पहले ही कर लिया गया। (सारणी 4.1)

सारणी 4.1 : राजकोषीय नीति के संकेतक

मद्दे	2003-04 (बजे)	2002-03 (संअ.)	2001-02 (बजे)	1995-96 (बजे)	1990-91 (बजे)
1	2	3	4	5	6
(सदेत का प्रतिशत)					
परिमाणात्मक संकेतक					
सकल राजकोषीय घाटा	9.2	10.1	9.9	6.5	9.4
राजस्व घाटा	5.9	6.7	6.9	3.2	4.2
प्राथमिक घाटा	2.8	3.6	3.7	1.6	5.0
गुणात्मक संकेतक					
राजस्व प्राप्तियां	19.0	19.1	17.4	18.3	18.6
कर - राजस्व	15.1	14.9	13.7	14.7	15.4
प्रत्यक्ष कर	4.3	4.2	3.6	3.5	2.5
अप्रत्यक्ष कर	10.8	10.7	10.1	11.2	12.9
कुल व्यय	29.6	30.4	28.5	25.6	28.8
विकास व्यय	14.6	15.4	14.3	13.9	17.4
विकासेतर व्यय	15.0	15.1	14.1	11.6	11.4
ब्याज भुगतान	6.4	6.5	6.2	5.0	4.4
ऋण	76.9	75.5	71.1	58.0	61.7
(प्रतिशत)					
पूँजी परिव्यय / कुल व्यय	11.2	9.6	9.0	10.7	13.1
ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्तियां	33.7	34.0	35.6	27.2	23.6
राजस्व घाटा / सराधा	64.0	66.7	70.4	48.8	44.6

टिप्पणी : सभी संकेतक केन्द्र और राज्यों के संयुक्त आंकड़ों पर आधारित हैं। राज्यों के आंकड़े अर्नेतम और 2001-02 से बाद की अवधि के हैं।

केन्द्र सरकार के वित्त, 2002-03

व्यय- पृष्ठं ध

4.3 केन्द्र द्वारा नब्बे के दशक के उत्तरार्ध से लागू की गयी व्यय-प्रबंध संबंधी नीतियों से राजकोषीय सुधारों के लिए अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि हाल के वर्षों में घाटा संकेतकों के अनुसार राजकोषीय स्थिति में और शिथिलता आयी है। सूखा राहत और योजना आबंटन के कारण अतिरिक्त व्यय के बावजूद, योजनेतर व्यय में कटौतियों से केन्द्र द्वारा 2002-03 में (बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों के अनुसार) समग्र व्यय में कमी करना संभव हो सका। रक्षा व्यय में कमी, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दर में कमी के कारण निम्न ब्याज भुगतान तथा साथ ही कम पेंशन भुगतान ‘राजकोषीय प्रोत्साहन निधि’ के अंतर्गत निधियों का प्रयोग न करने के कारण राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दिये गये अनुदानों एवं ऋणों में कमी किये जाने के कारण योजनेतर व्यय में गिरावट आयी। तथापि, 2002-03 के दौरान आर्थिक सब्सिडी संबंधी व्यय में काफी वृद्धि हुई जो पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित मूल्य प्रक्रिया (एपीएम) को समाप्त करने तथा साथ ही सूखे की स्थिति के कारण खाद्य सब्सिडी में हुई वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है। एपीएम को समाप्त किये जाने तक पेट्रोलियम उत्पाद के मूल्यों में होनेवाली वृद्धि को तेल प्रूल खाते में

खपा लिया जाता था। वर्ष 2002-03 से इस खाते को बंद कर देने के साथ घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), मिट्टी के तेल तथा सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने के मालभाड़े में दी जानेवाली आर्थिक सहायिकी का भार अब भी बजट पर पड़ता है (सारणी 4.2)।

4.4 व्यय को नियंत्रित करने से प्राप्त लाभ यद्यपि सीमित है, फिर भी, उनसे राजकोषीय समेकन की स्थिति मजबूत हुई है। उन्होंने पर्याप्त अनुमान लगाने और वित्तीय योजना बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजकोषीय समझदारी के समग्र लाभ वर्ष के दौरान नकदी-प्रबंध में भी परिलक्षित होते रहे हैं। प्रभावी नकदी प्रबंध से दुर्लभ नकदी संसाधनों का रक्षण होता है और अन्ततः सकल व्यय और बजटीय अंतराल पर नियंत्रण रहता है। केन्द्र सरकार के वित्त के संदर्भ में यह पाया गया है कि वर्षाधीन अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों और सरकारी व्यय में अंतर अधिक है; राजकोषीय वर्ष के अंत में व्यय बढ़ने की प्रवृत्ति भी देखी गयी (चार्ट IV.1)।

45 वर्ष 2003-04 के बजट में प्रायोगिक आधार पर अधिक व्यय करनेवाले मंत्रालयों में नकदी प्रबंध शुरू करने की पहल को प्रभावी व्यय प्रबंध की ओर उठाये गये महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। विभिन्न देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि खर्च करने के लिए

सारणी 4.2 : केन्द्र का कुल व्यय

(करोड रुपये)

1	2	3	4	5	6	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
कुल व्यय (1+2=3+4)	4,04,013 (16.3)	4,10,309 (16.0)	3,62,453 (15.8)	1,78,275 (15.0)	1,05,298 (18.5)	-6,296	-1.5
1. योजनेतर व्यय जिसमें से :	2,89,924 (11.7)	2,96,809 (11.6)	2,61,259 (11.4)	1,31,901 (11.1)	76,933 (13.5)	-6,885	-2.3
ब्याज भुगतान	1,15,663 (4.7)	1,17,390 (4.6)	1,07,460 (4.7)	50,045 (4.2)	21,498 (3.8)	-1,727	-1.5
रक्षा	56,000 (2.3)	65,000 (2.5)	54,266 (2.4)	26,856 (2.3)	15,426 (2.7)	-9,000	-13.8
आर्थिक सहायता	44,618 (1.8)	39,801 (1.6)	31,207 (1.4)	12,666 (1.1)	12,158 (2.1)	4,817	12.1
2. योजना व्यय	1,14,089 (4.6)	1,13,500 (4.4)	1,01,194 (4.4)	46,374 (3.9)	28,365 (5.0)	589	0.5
3. राजस्व व्यय	3,41,648 (13.8)	3,40,482 (13.3)	3,01,611 (13.1)	1,39,861 (11.8)	73,516 (12.9)	1,166	0.3
4. पूंजीगत व्यय@	62,365 (2.5)	69,827 (2.7)	60,842 (2.6)	38,414 (3.2)	31,782 (5.6)	-7,462	-10.7

चार्ट IV.1 : केंद्र की मासिक राजस्व प्राप्तियां और कुल व्यय

करोड़ रुपये

	कुल आय	राजस्व प्राप्तियां
अप्रैल-02	मई-02	जून-02
जुलाई-02	अगस्त-02	सितंबर-02
अक्टूबर-02	नवंबर-02	दिसंबर-02
जनवरी-03	फरवरी-03	मार्च-03

अवधियों में बांटकर निधि जारी करने और प्रोत्साहन आधारित नकदी प्रबंध की कार्यप्रणाली से समग्र राजकोषीय अनुशासन के लिए सहायता मिलती है (बाक्स IV.1)।

4.6 पिछले पांच वर्षों में, विशेषकर 2002-03 की अवधि में तेजी से हुई वृद्धि के साथ आर्थिक सहायिकी करीब-करीब दुगुनी हो गयी है। वर्ष 1990-91 से आर्थिक सहायिकी के व्यय में हुई वृद्धि में 87.4 प्रतिशत आर्थिक सहायिकी खाद्यान्न और उर्वरक निविष्टि के लिए दी गयी। खाद्यान्न स्टॉक के संचय के साथ-साथ खाद्यान्न आर्थिक सहायिकी बफर संभालने की लागत के वित्तपोषण और उत्पादकों के लिए आर्थिक सहायिकी में उसकी मात्रा के अनुसार वृद्धि हो रही है। खाद्यान्न स्टॉक में 2000-01 से खाद्यान्न आर्थिक सहायिकी में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का राजकोषीय प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरी ओर, उर्वरकों का मूल्य स्थिर बनाये रखने की योजना के युक्तिकरण और उसके अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि से उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायिकी पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2001-02 के बजट में 1 अप्रैल 2006 तक यूरिया के मूल्यों में पूर्ण अप-नियंत्रण लाने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की

बाक्स IV.1

सरकारी व्यय : नकदी प्रबंध

सरकारी व्यय प्रबंध में बजट की मात्रा, विभिन्न कार्यों पर परिव्यय की मात्रा, तथा सरकारी निर्णय लेने में विविध चरणों में संसाधन संबंधी प्रतिबधों के भीतर विविध कार्यक्रमों के लिए परिव्यय के परिमाण का निर्धारण शामिल होता है। सरकारी व्यय का मूल तत्त्व नकदी प्रबंध होता है जिसमें नकदी प्रवाह का संरक्षण और उसका सर्वोच्चम उपयोग और नकदी लागत के प्रति संवेदनशीलता निहित होती है। प्रभावी नकदी प्रबंध में निम्नलिखित शामिल हैं - (क) प्राप्तियां, संवितरणों का पूर्वानुमान और इनके परिणामस्वरूप अधिक बारंबारता के आधार पर सरकारी वित्तीय प्रणाली के भीतर नकदी शेष का बनाये रखना; (ख) अपेक्षित और वास्तविक प्राप्तियों के बीच समय अंतराल को न्यूनतम रखने के लिए नकदी प्राप्तियों पर कड़ा नियंत्रण; (ग) देरी से और मीयाद पूर्व भुगतानों को रोकने के लिए नकदी बहिर्वाह पर नियंत्रण, तथा (घ) संचालन में नकदी शेषों को न्यूनतम रखना।

विभिन्न देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि निधि जारी करने की तीन प्रकार की पद्धतियां प्रचलित हैं। जिन देशों में बजटीय राशि बजट अनुमोदित होने के तत्काल बाद उपलब्ध होती है (ब्रिटिश राष्ट्र मंडल के कुछ देश और कुछ परिवर्तनाधीन अर्थव्यवस्थाएं) वहां निधि आवधिक रूप में विभाजित करके जारी करने की प्रणाली प्रचलित है। वैकल्पिक व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत व्यय करनेवाली एजेंसियों द्वारा किये गये अनुरोधों के जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा औपचारिक वारंट जारी किये जाते हैं। ऐसे अनुरोधों की आवधिकता परिभाषित नहीं होती और प्राथमिक रूप से उनमें परिव्यय के लिए कार्मिक आवश्यकताओं के बजाय बदलती मौसमी आवश्यकताएं परिलक्षित होती हैं। तीसरी व्यवस्था के अंतर्गत वचनबद्धता के लिए नियंत्रण राशि जारी की जाती है और भुगतान मासिक या तिमाही रूप में किया जाता है।

ये सभी व्यवस्थाएं व्यय करनेवाली एजेंसियों को जमा की जानेवाली नकद राशियों के बजाय नकदी जारी करने को ही नियंत्रित करती हैं। सकल राजकोषीय नियंत्रण के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं औपचारिक कानूनों (जैसे मास्ट्रिच, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया) से लेकर विधानमण्डल की प्रतिबद्धता के साथ या उसके बिना (जैसे अमरीका) कार्यपालकों द्वारा सार्वजनिक प्रतिबद्धताओं के माध्यम से सकल व्यय पर संविधानात्मक औपचारिक नियंत्रणों (जैसे इंडोनेशिया) तक अलग-अलग हो सकती हैं। स्वीडन जैसे कुछ देशों में प्रोत्साहन पर आधारित कार्यप्रणालियों का अनुसरण किया जाता है जहां वार्षिक बजट विनियोग की राशि प्रत्येक एजेंसी के व्याज युक्त खाते में जमा की जाती है। धीमी गति से व्यय करनेवाली एजेंसियां कुछ व्याज अर्जित करती हैं और तेजी से व्यय करनेवालों को व्याज अदा करना पड़ता है। वर्ष के अंत में व्यय में आनेवाली उछाल की प्रवृत्ति से बचने के लिए एजेंसियों को अपनी अप्रयुक्त विनियोग की राशि आगे ले जाने के लिए अनुमति होती है।

भारतीय संदर्भ में राजकोषीय समेकन के एक भाग के रूप में सरकारी व्यय प्रबंध पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। व्यय-प्रबंध को मजबूत करने हेतु उपाय सुझाने के लिए व्यय सुधार आयोग का गठन इस दिशा में की गयी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने व्यय वृद्धि को नियंत्रित रखने और व्यय-प्रबंध में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये हैं। तथापि, व्यय प्रबंध में नकदी प्रबंध कमज़ोर कड़ी है।

व्यय का स्वरूप यह दर्शाता है कि पिछले तीन वर्षों में कुल व्यय के औसतन लगभग 19 प्रतिशत व्यय राजकोषीय वर्ष के अंतिम महीने में

(....जारी)

(....समाप्त)

हुआ है। केन्द्रीय बजट 2003-04 में शुरू की गयी प्रायोगिक नकदी प्रबंध प्रणाली में वर्ष के भीतर संसाधनों की उपलब्धता के साथ एकरूपता बनाये रखने के लिए समयबद्धता अपनायी गयी है। वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विविध मंत्रालयों के लिए मासिक या तिमाही रूप में नकदी सीमाएं निर्धारित की जायेंगी। सुधारित नकदी प्रबंध से ऐसी अपेक्षा है कि प्राप्तियों और व्यय के बीच होनेवाले असंतुलन एवं राजकोषीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय करने की हड्डबड़ी से बचाव होगा।

गयी है। हाल के वर्षों में उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता में आयी गिरावट में इन उपायों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादों के लिए नियंत्रित मूल्य प्रक्रिया समाप्त करने के परिणाम स्वरूप 2002-03 से पेट्रोलियम आर्थिक सहायिकी का उद्भव हुआ है। तथापि, पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी आर्थिक सहायिकी को शामिल न करते हुए भी 2002-03 में कुल आर्थिक सहायिकी सकल राजकोषीय घाटा (सराधा) के 1.6 प्रतिशत पर उच्च ही बनी हुई है (सारणी 4.3)।

संदर्भ

1. डी. जोयसा, हेमा आर. (1990), कैश मैनेजमेंट, ए, प्रेमचंद (ईडी) में - गवर्नमेंट फाइनान्शियल मैनेजमेंट - इश्यूज एण्ड कन्ट्री स्टडिज, आइएमएफ।
2. प्रेमचंद, ए (ईडी) (1990), गवर्नमेंट फाइनान्शियल मैनेजमेंट - इश्यूज एण्ड कन्ट्री स्टडिज, आइएमएफ।
3. वर्ल्ड बैंक (1998), पब्लिक एक्सपैडिचर मैनेजमेंट हैंडबुक। <http://www1.worldbank.org/publicsector.handbooks.htm>

4.7 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि राजकोषीय सुधार के लिए पूर्ववर्ती प्रयासों के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय में निरंतर गिरावट आ रही है। सामान्यतः, पूंजीगत परिव्यय ही घाटा-आधारित राजकोषीय सुधार के लिए सुलभ विकल्प प्रदान करता है। वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में पूंजीगत परिव्यय बजट लक्ष्य से 25 प्रतिशत कम रहा जिसका आशय यह है कि संसाधनों का उत्पादक निवेशों से चालू व्यय की ओर प्रयोग बढ़ा है। भारतीय

सारणी 4.3 : प्रमुख शीर्षों द्वारा आर्थिक सहायता पर व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	खाद्य	उर्वरक	ब्याज	पेट्रोलियम	अन्य	कुल आर्थिक सहायता
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	2,450 (0.4)	4,389 (0.8)	379 (0.1)	0	4,940 (0.9)	12,158 (2.1)
1991-92	2,850 (0.4)	5,185 (0.8)	316 (0.1)	0	3,902 (0.6)	12,253 (1.9)
1992-93	2,800 (0.4)	6,136 (0.8)	113	0	1,775 (0.2)	10,824 (1.4)
1993-94	5,537 (0.6)	5,079 (0.6)	113	0	876 (0.1)	11,605 (1.4)
1994-95	5,100 (0.5)	5,769 (0.6)	76	0	909 (0.1)	11,854 (1.2)
1995-96	5,377 (0.5)	6,735 (0.6)	34	0	520	12,666 (1.1)
1996-97	6,066 (0.4)	7,578 (0.6)	1,222 (0.1)	0	633	15,499 (1.1)
1997-98	7,900 (0.5)	9,918 (0.7)	78	0	644	18,540 (1.2)
1998-99	9,100 (0.5)	11,596 (0.7)	1,434 (0.1)	0	1,463 (0.1)	23,593 (1.4)
1999-2000	9,434 (0.5)	13,244 (0.7)	1,371 (0.1)	0	438	24,487 (1.3)
2000-01	12,060 (0.6)	13,800 (0.7)	111	0	867	26,838 (1.3)
2001-02	17,499 (0.8)	12,595 (0.5)	210	0	903	31,207 (1.4)
2002-03 (संअ)	24,200 (1.0)	11,009 (0.4)	765	6,265 (0.3)	2,379 (0.1)	44,618 (1.8)
2003-04 (बअ)	27,800 (1.0)	12,720 (0.5)	179	8,116 (0.3)	1,092	49,907 (1.8)

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सदेत के प्रतिशत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.4 : केन्द्र के पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपये)

	2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल पूंजीगत व्यय	62,365	69,827	60,842	38,414	31,782	-7,462	-10.7
(1+2)=(3+4)	(2.5)	(2.7)	(2.6)	(3.2)	(5.6)		
1. पूंजी परिव्यय	30,345	40,691	26,558	14,099	12,130	-10,346	-25.4
	(1.2)	(1.6)	(1.2)	((1.2))	(2.1)		
2. ऋण और अग्रिम	32,020	29,136	34,284	24,316	19,652	2,884	9.9
	(1.3)	(1.1)	(1.5)	(2.0)	(3.5)		
3. योजनेतर पूंजी व्यय	20,945	26,640	21,305	21,062	15,348	-5,695	-21.4
जिसमें से							
रक्षागत पूंजी	14,912	21,411	16,207	8,015	4,552	-6,499	-30.4
	(0.6)	(0.8)	(0.7)	(0.7)	(0.8)		
4. योजनागत पूंजी व्यय (i+ii)	41,420	43,187	39,537	17,353	15,745	-1,767	-4.1
	(1.7)	(1.7)	(1.7)	(1.5)	(2.8)		
i) केन्द्रीय योजना परिव्यय	18,735	18,205	18,193	8,255	9,134	530	2.9
	(0.8)	(0.7)	(0.8)	(0.7)	(1.6)		
ii) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	22,685	24,982	21,344	9,098	6,611	-2,297	-9.2
	(0.9)	(1.0)	(0.9)	(0.8)	(1.2)		

संअ : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोषकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शते हैं।

परिप्रेक्ष्य में ऐसे काफी प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि उच्चतर वृद्धि की स्थितियों के निर्माण में सरकारी निवेश ने प्रमुख भूमिका निभायी है। इसके अतिरिक्त, मूलभूत सुविधाओं में पूंजीगत परिव्यय बढ़ाने का सुस्पष्ट लाभप्रद प्रभाव यह हुआ है कि निजी निवेश में वृद्धि हुई है। इस परिवेश में पूंजीगत परिव्यय के संकुचन से अपरिहार्य रूप से आस्ति निर्माण और भौतिक मूलभूत सुविधा के विकास पर परिणाम होगा जो वृद्धि की गति बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं (सारणी 4.4)।

राजस्व स्थिति

4.8 समष्टिगत आर्थिक स्थितियों ने राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों पर अलग-अलग प्रभाव डाला है। प्रारंभिक अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में आये अंतर का कारण है प्रत्यक्ष कर, वैयक्तिक आय-कर, कंपनी-कर और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की वसूली में आयी गिरावट। तथापि, औद्योगिक गतिविधियों के पुनरुज्जीवन से क्रेंडीय उत्पाद शुल्क और कंपनी कर दोनों की वसूली पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी और विनिर्माण कंपनियों के वित्तीय कार्य-निष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। आयात मांग में आये उछाल के कारण सीमाशुल्क को लाभ हुआ और उसने बजट अनुमानों की तुलना में सीमांत वृद्धि दर्ज की (सारणी 4.5)।

4.9 केन्द्र के कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात में स्थायी गिरावट आयी और पिछले असी के दशक के 10 प्रतिशत के स्थान पर 2002-03 में वह मात्र करीब 9 प्रतिशत रह गया जो करों में तीव्र वृद्धि¹ में गिरावट दर्शाता है। आठवीं और नौवीं योजना की अवधि में केन्द्रीय करों की तीव्र वृद्धि 0.9 से कम होकर 0.8 रह गयी जिसका मुख्य कारण था अप्रत्यक्ष कर; प्रत्यक्ष-कर वसूली में तीव्र वृद्धि 1.3 पर बनाये रखी गयी। यह हाल के वर्षों में अवरुद्ध हो गयी और उसने अप्रत्यक्ष-करों की तीव्र वृद्धि में आयी गिरावट की पर्याप्त रूप में क्षतिपूर्ति नहीं की। वर्ष 1991-92 से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की पुनर्संरचना के साथ कम-कर वाले सेवा क्षेत्र के प्रति सकल देशी उत्पाद की संरचना में ढाँचागत परिवर्तन किया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कर-राजस्व की वृद्धि पर प्रभाव डाला है (सारणी 4.6)।

4.10 करेतर राजस्व 2002-03 में राजकोषीय सुधारों के आवेग के प्रति प्रतिक्रियाहीन रहते हुए स्थूलतः सकल देशी उत्पाद के 3 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा। तथापि, हाल की अवधि में सरकार या सरकारी संस्थाओं द्वारा परिवहन, बिजली और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में दी जा रही सेवाओं के संबंध में उपयोगकर्ता प्रभार और लागत वसूली के संपूर्ण युक्तिकरण के जरिए सार्वजनिक उपक्रमों की पुनर्संरचना की आवश्यकता चर्चा का विषय बन गयी है। प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (2002) ने यथोचित प्रयोगकर्ता प्रभार और विश्वसनीय विनियामक

¹ करों में तीव्र वृद्धि को कराधार/सदेत में आनुपातिक परिवर्तन के रूप में कर वसूली में परिवर्तन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

सरकारी वित्त

सारणी 4.5 : केन्द्र की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

	2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल प्राप्तियां	4,04,013 (16.3)	4,10,309 (16.0)	3,62,453 (15.8)	1,68,468 (14.2)	93,951 (16.5)	-6,296	-1.5
राजस्व प्राप्तियां	2,36,936 (9.6)	2,45,105 (9.6)	2,01,449 (8.8)	1,10,130 (9.3)	54,954 (9.7)	-8,169	-3.3
कर-राजस्व (निवल)	1,64,177 (6.6)	1,72,965 (6.8)	1,33,662 (5.8)	81,939 (6.9)	42,978 (7.6)	-8,788	-5.1
करेतर राजस्व	72,759 (2.9)	72,140 (2.8)	67,787 (3.0)	28,191 (2.4)	11,976 (2.1)	619	0.9
पूँजीगत प्राप्तियां	1,67,077 (6.8)	1,65,204 (6.5)	1,61,004 (7.0)	58,338 (4.9)	38,997 (6.9)	1,873	1.1
ज्ञापन मद्दें@							
कंपनी कर	44,700 (1.8)	48,616 (1.9)	36,609 (1.6)	16,487 (1.4)	5,335 (0.9)	-3,916	-8.1
आय कर	37,300 (1.5)	42,524 (1.7)	32,004 (1.4)	15,592 (1.3)	5,371 (0.9)	-5,224	-12.3
सीमा शुल्क	45,500 (1.8)	45,193 (1.8)	40,268 (1.8)	35,757 (3.0)	20,644 (3.6)	307	0.7
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	87,383 (3.5)	91,433 (3.6)	72,555 (3.2)	40,187 (3.4)	24,514 (4.3)	-4,050	-4.4
संअ : संशोधित अनुमान।	बअ : बजट अनुमान।						
@@ ज्ञापन मद्दें सकल आधार पर हैं जिनमें राज्यों का अंश शामिल है।							
टिप्पणी : कोष्ठकों के आकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शति हैं।							

सारणी 4.6 : केन्द्र के सकल कर राजस्व

(सदेत का प्रतिशत)

वर्ष	प्रमुख कर				सकल कर
	आय कर	कंपनी कर	उत्पाद शुल्क	सीमा शुल्क	
1	2	3	4	5	6
1990-91	0.9	0.9	4.3	3.6	10.1
1991-92	1.0	1.2	4.3	3.4	10.3
1992-93	1.1	1.2	4.1	3.2	10.0
1993-94	1.1	1.2	3.7	2.6	8.8
1994-95	1.2	1.4	3.7	2.6	9.1
1995-96	1.3	1.4	3.4	3.0	9.4
1996-97	1.3	1.4	3.3	3.1	9.4
1997-98	1.1	1.3	3.2	2.6	9.1
1998-99	1.2	1.4	3.1	2.3	8.3
1999-00	1.3	1.6	3.2	2.5	8.9
2000-01	1.5	1.7	3.3	2.3	9.0
2001-02	1.4	1.6	3.2	1.8	8.1
2002-03 (संअ)	1.5	1.8	3.5	1.8	9.0
2003-04 (बअ)	1.6	1.9	3.5	1.8	9.2
संअ : संशोधित अनुमान।	बअ : बजट अनुमान।				

प्राधिकरणों की स्थापना का अभिनिर्धारण किया है क्योंकि ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जिन पर मूलभूत सुविधा के विकास की सफलता निर्भर होगी। उपयोगकर्ता प्रभारों के युक्तिकरण में बिजली, पानी और परिवहन जैसी उपयोगिताएं शामिल हैं। उपयोगकर्ता प्रभार निविष्ट लागत के सूचकांक से संबद्ध किये जा सकते हैं और उनमें आवधिक रूपसे संशोधन की प्रक्रिया स्वचालित होनी चाहिए (बाक्स IV.2)।

4.11 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा नीतिगत बिक्री प्रक्रिया के साथ बढ़ते हुए 2001-02 के दौरान विनिवेश कार्यक्रम में कुछ प्रगति हुई; तथापि वास्तविक आय लक्ष्य की राशि से कम है। वर्ष 2002-03 में विनिवेश प्रक्रिया अपेक्षा से धीमी रही। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के नीतिगत विनिवेश जिस मुख्य चुनौती से जूझ रहा है वह है - निरंतर रूप से हानिप्रद और अव्यवहार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करना ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों की लाभप्रदता बजटीय सहायता देने के लिए संसाधन निर्माण का मुख्य स्रोत बन सके। संभाव्य रूप से अर्थक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन और अर्थक्षम इकाइयों की लाभप्रदता और दक्षता में सुधार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार लाया जा रहा है। सुधारों की प्राथमिकताओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेशों पर प्रतिलाभ बढ़ाना और प्रबंधन में व्यावसायीकरण लाना शामिल है (बाक्स.3)।

बाक्स IV.2

सार्वजनिक सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण नीति : उपयोगकर्ता प्रभारों की दुविधा

देश में अत्यंत महत्वपूर्ण भौतिक मूलभूत सुविधा को सुनिश्चित करने की सफलता आदा करने योग्य और पर्याप्त उपयोगकर्ता प्रभार लगाने पर निर्भर होती है। सड़क, दूरसंचार और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों में जहां उचित उपयोगकर्ता प्रभार निर्धारित और लागू करना संभव है, उन क्षेत्रों में समग्र रूप से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सही आर्थिक लागत प्रतिबंधित करने के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों के युक्तिकरण के सुझात लाभों के बावजूद इस दिशा में हुई प्रगति मुख्यतः राजनीतिक आर्थिक विचारों द्वारा बाधित हुई है और इसके लिए समर्थक कानूनी व्यवस्था का अत्यंत अभाव है।

सामान्यतः घाटे की पूर्ति के लिए कराधान को उपयोगकर्ता प्रभारों को जुटाने के विकल्प के रूप में पसंद नहीं किया जाता। इसे अपर्याप्त माना जाता है क्योंकि सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ता के लिए ही नहीं, बल्कि हर-एक पर प्रभार लगाया जाएगा। साथ ही, घाटे की पूर्ति के लिए जहां एकमुश्त कराधान से कार्यक्षमता में हानि होगी, वहीं वह अधोगामी भी होगा। रामसे नियम यह बताता है कि उत्पाद के लिए मांग की (समकृत) मूल्य लोच के प्रति प्रतिलोम अनुपात में होनेवाले अधिक मूल्य निर्धारण (सीमांत लागत से अधिक) से कुल भार या कार्यक्षमता में हानि न्यूनतम होगी।

नीतिगत दुविधा का अन्य एक समाधान यह है कि लोक सेवा का लाभ लेनेवालों के लिए दो भाग में टैरिफ लगाया जाए (एक समान उपयोगकर्ता शुल्क जो एकमुश्त कर के समकक्ष होगा और इसलिए इसमें संसाधन का काई त्रुटि पूर्ण आबंटन नहीं होगा और सेवा का प्रति इकाई प्रभार)। टेलीफोन, बिजली और जल आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी सेवाओं के मूल्य निर्धारण में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

मूल्य विभेद के लिए और एक तकनीक अपनायी जाती है जिसमें ग्राहक को अंतिम यूनिट पर सीमांत लागत के समकक्ष मूल्य लगाया जाता है, परंतु पहले की यूनिटों के लिए उच्चतर मूल्य लगाया जाता है। ग्राहकों की मांग अनुसूची में होनेवाले अंतर से विभेदात्मक मूल्य निर्धारण होगा जैसे आवासीय और वाणिज्यिक समूहों के बिजली प्रभारों के मामले से सुस्पष्ट होता है।

लोकोपयोगी सेवा संबंधी विनियमों के मामले में मूल्य निर्धारण विशेष रूप से अन्य उद्योगों के अनुरूप लागत पूर्ति और पूंजी पर उचित प्रतिलाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। सामान्यतया यह तब होता है जब सार्वजनिक सेवाएं निजी फर्मों (जो सामान्यतः सेवा का मूल्य सीमांत लागत से अधिक रखते हैं) की प्रतिस्पर्धा में प्रवान की जाती हैं। दूसरे सर्वोत्कृष्टता के प्रमेय के अनुसार सीमांत लागत के समकक्ष मूल्य को निर्धारित करना अन्य (सार्वजनिक) क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त होगा। ऐसे मामलों में दीघाविधि औसत लागत और पूंजी पर सामान्य प्रतिलाभ के समकक्ष मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। इससे उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और उच्च लागत के सार्वजनिक उत्पादकों को कम लागत वाले अधिक कार्यक्षम निजी उत्पादकों को विस्थापित करने से रोका जा सकेगा।

उच्चतम भार पर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में 'अत्यधिक' मांग की अवधि के दौरान उच्चतर उपयोगकर्ता प्रभार लगाया जाता है और ऐसी मांग न होने की अवधि के दौरान सीमांत परिचालन लागत लगायी जाती है (जैसे

भारत में टेलीफोन के मामले में हुआ था)। यही सिद्धांत व्यस्ततम घण्टों में सड़क / पुल पर (टोल) भीड़-भाड़ का समाधान करने के लिए अपनाया जा सकता है। प्रदूषण जैसे प्रतिकूल घटकों के लिए मूल्य निर्धारण उनके संबंध में पर्याप्त सूचना के अभाव में अधिक कठिन हो जाता है। ऐसा होने पर भी प्रभावी मूल्य निर्धारण में ऐसे बाह्य घटकों की 'लागत' भी जोड़ी जाती है और सीमांत सामाजिक लागत के समकक्ष उपयोगकर्ता प्रभार निर्धारित किया जाता है।

भारत में टेलीकाम सेवाओं के मूल्य-निर्धारण में उपयोगकर्ता प्रभार जुटाने की आवश्यकता रेखांकित हुई है, जहां यह देखा गया कि संरक्षित बाजार से प्रतिस्पर्धा परिवेश में उत्तरते हुए यह एक अनिवार्य घटक है। जहां तक पानी के मूल्य निर्धारण का प्रश्न है कुछ क्षेत्रों में पूंजी, परिचालन और रखरखाव लागतों के आधार पर एक माडल बनाया गया, हालांकि अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि भारत में करीब 76 प्रतिशत शहरों और गांवों में पानी की व्यवस्था की लागत बसूली से अधिक रही। भारत में बिजली प्रभारों की प्रति-सहायता वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए हासमान कर की तरह रही। इस तरह से बिजली कंपनियां अपनी लागत के मात्र 68.6 प्रतिशत उपभोक्ताओं से बसूल कर सकतीं। बिजली के उचित मूल्य निर्धारण से ही राज्य विद्युत मंडलों का वित्तीय भार कम हो सकता है और उन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। रेलवे के संदर्भ में किराया मालभाड़ा अनुपात (प्रति टन किमी आय की तुलना में प्रति यात्री किमी आय) विश्व में सबसे न्यूनतम अनुपातों में बना रहा; और वह 2001-02 में 0.31 रहा। राज्य सड़क परिवहन कंपनियों को 1999-2000 में करीब 1,950 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

मूल्य निर्धारण और लागत बसूली नीतियों में अक्सर राजकोषीय प्रभाव और सरकारी निधि की लागत पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अतएव आर्थिक मूलभूत सुविधा के वित्तपोषण के लिए पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से प्रभावी स्तरों पर उपयोगकर्ता प्रभार निर्धारित किये जाएं। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता प्रभारों में रखरखाव संबंधी व्यय की पूर्ति करना और सेवा के उपयोग के स्तर पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मूल्य निर्धारण नीति में लोकोपयोगिता और उनकी दीघाविधि की वाणिज्यिक अर्थक्षमता से संबंधित सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. बाउमोल, डब्ल्यू, और डी. ब्राडफोर्ड (1970), “आप्टिमल डिपारचर्स फ्राम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग”, अमेरिकन इकनॉमिक रिव्यू, जून, खण्ड 60, 265-83।
2. मेकिन्स एण्ड कंपनी (2001), इंडिया: दि ग्रोथ इम्परेटिव, खंड-I, नई दिल्ली।
3. माथुर, ओ.पी. (2001), कमिंग टू ग्रिप्स विथ इश्यूज आफ प्राइसिंग अर्बन वॉटर एण्ड इन्ट्रा-सिटी बस ट्रान्सपोर्ट, नैशनल इनसिटट्यूट आफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पालिसी, नई दिल्ली।

बाक्स IV.3

विनिवेश नीतियां और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार

विश्व भर में 'विनिवेश' और 'निजीकरण' शब्द सामान्यतः एक दूसरे के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। वास्तव में जहां 'विनिवेश' सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयर धारिता की बिक्री के लिए प्रयुक्त होता है वहाँ 'निजीकरण' अधिक व्यापक संकल्पना है और उसका अर्थ है, प्रबंध-तंत्र और नियंत्रण निजी संस्थाओं को अंतरित करना। हाल के वर्षों में विकासशील और विकसित देशों में विशेषतः उनकी अदक्ष कार्य-पद्धति और राज्य बजट पर उनके पड़नेवाले प्रतिकूल प्रभाव के जवाब में सामान्य रूप में निजीकरण का व्यापक विस्तार हो रहा है। विश्व भर में 100 से भी अधिक देशों ने अपनी सरकारी - स्वामित्ववाली कुछ संस्थाओं का निजीकरण किया है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यक्षमता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए वर्षों से उपाय किये जा रहे हैं। पहले, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक उद्यमों की नीति की समीक्षा करने के लिए समिति (अध्यक्ष : अर्जुन सेनगुप्ता, 1984) की सिफारिशों के अनुसार धारक कंपनी के रूप में बफर के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता था। बाद में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उद्देश्यों के प्रति स्पष्टता लाने के लिए समझौता ज्ञापन की प्रणाली लागू की गयी।

विनिवेश प्रक्रिया भारत में एक दशक से भी अधिक समय से प्रचलित है। भारत सरकार के 1991-92 के अंतरिम बजट में पहली बार विनिवेश के संबंध में सुस्पष्ट विवरण - चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थागत निवेशकों के पक्ष में सरकारी इक्विटी के 20 प्रतिशत का विनिवेश करने का प्रस्ताव रखा गया है। विनिवेश आयोग की स्थापना 1996 में की गयी और उसने सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों के संबंध में प्रबंध तंत्र के अंतरण के साथ शेयरों के सार्वजनिक प्रस्तावों के बजाय नीतिबद्ध / व्यापार बिक्री करने का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 1999-2000 के केन्द्रीय बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सामरिक (रक्षा संबंधी, परमाणु ऊर्जा संबंधी, रेलवे परिवहन) या गैर-सामरिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये हैं। विनिवेश की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए और उसकी गति बढ़ाने के लिए केन्द्रीय विभाग के रूप में 1999 में विनिवेश विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2000-01 से विनिवेश के संबंध में किये गये प्रमुख नीतिगत बयानों में सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों का पुनरुज्जीवन नहीं हो सकता उन्हें बंद करना, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर-सामरिक उपक्रमों में 74 प्रतिशत तक या अधिक का विनिवेश करना और सुरक्षा तंत्र के जरिए कामगारों के हितों की रक्षा करना शामिल है। केन्द्रीय बजट 2002-03 में सार्वजनिक क्षेत्र के सात उपक्रमों और सरकारी स्वामित्व के कुछ होटलों की सामरिक बिक्री पूर्ण करने की घोषणा की गयी और यह दर्शाया गया कि सामरिक निवेशकों को शेयरों की एकमुश्त सामरिक बिक्री पर ध्यान दिये जाने से (अल्प मात्रा में

शेयरों का विनिवेश करने के स्थान पर) लाभ / इक्विटी अनुपात बढ़ा है। दिसंबर 2002 में विनिवेश संबंधी घोषित नीति में अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करके नई आस्तियों के निर्माण, रोजगार सृजन, लोक ऋण के शोधन, विनिवेश आय निधि की स्थापना और विनिवेश के परिणाम स्वरूप निर्माण होनेवाले निजी एकाधिकार से बचने पर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2003-04 में विनिवेश प्रक्रिया को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादक संभावनाओं को प्रकट करने के एक साधन के रूप में और सरकार को कारोबार से दूर परंतु कारोबार के संचालन की ओर फिर से मोड़ने की वृष्टि से देखा गया है।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुधार उद्योग क्षेत्र में अलग-अलग रहे हैं। बिजली क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया में वितरण के निजीकरण, उच्च भार संघनता के संकेन्द्रित क्षेत्रों को पृथक करने, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार संरचना और बहुस्तरीय विनियमन की कल्पना की गयी है। फिर भी, यह प्रक्रिया पूर्ण होने में काफी समय लगेगा। दूरसंचार क्षेत्र का उदारीकरण राष्ट्रीय टेलीकाम नीति, 1994 के अधिनियमन और 1997 में भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण की स्थापना तथा 1999 में नई टेलीकाम नीति बनने, जिससे तकरीबन सभी टेलीकाम सेवाएं निजी क्षेत्र के लिए खुली हुईं, के साथ वास्तविक रूप में पूर्ण हुई है। तेल क्षेत्र में भी विनिवेश का पहला दौरा पूर्ण हुआ है परंतु उसका मुख्य अंश अभी भी सरकार के स्वामित्व में है।

विनिवेश आयोग द्वारा विनिवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 62 उपक्रमों पर विचार किया गया जिनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के केवल 49 उपक्रमों का विनिवेश करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 919 राज्य उपक्रमों में से विनिवेश / बंद करने / पुनर्संरचना की प्रक्रिया 221 इकाइयों के संदर्भ में शुरू की गयी है और 33 इकाइयों के संदर्भ में निजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। 1991-2003 के दौरान विनिवेश से केन्द्र द्वारा जुटायी गयी राशि 29,488 करोड़ रुपये थी, जबकि लक्ष्य 78,300 करोड़ रुपये का था अर्थात लक्ष्य के करीब-करीब 38 प्रतिशत की प्राप्ति।

संदर्भ

1. भारत सरकार, विनिवेश मंत्रालय, वेबसाइट।
2. लिबर्न, एल.डब्ल्यू और डी.किंकेस (ईडीएस) (1998), प्राइवेटइंजेशन एण्ड इमर्जिंग इक्विटी मार्केट्स, वाशिंगटन डी.सी., फ्लॉरिंगस।
3. विश्व बैंक (1995), 'ब्यूरोक्रेट्स इन बिजनेस : दि इकानामिक्स एण्ड पालिटिक्स ऑफ गर्वनमेंट औनरशिप', नीति अनुसंधान रिपोर्ट।

- 4.13 राजकोषीय दबाव के निरंतर बने रहने से राजस्व और व्यय नीति में बदलाव लाने की क्षमता कम हो जाती है और प्रति-चक्रीय उपाय के रूप में राजकोषीय नीति के लिए गुंजाइश सीमित हो जाती है। कारोबारी चक्र में आयी धीमी गति के परिप्रेक्ष्य में व्यय के प्रतिबद्ध स्वरूप और राजस्व की अनम्यताओं से राजकोषीय सुधार बाधित हुआ (बाक्स IV.4)।

समग्र धारा

4.12 वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में बजटीय अंतराल के मुख्य संकेतकों में थोड़ी कमी आयी क्योंकि राजस्व संग्रहण में उच्चतर वृद्धि और विनिवेश से अधिक वसूली के संबंध में पहले की गयी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं (सारणी 4.7)।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.7 : केन्द्र के घाटा संकेतक

(करोड़ रुपये)

	2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
सकल राजकोषीय घाटा	1,45,466 (5.9)	1,35,524 (5.3)	1,40,955 (6.1)	60,243 (5.1)	44,632 (7.8)	9,942	7.3
राजस्व घाटा	1,04,712 (4.2)	95,377 (3.8)	1,00,162 (4.3)	29,731 (2.5)	18,562 (3.3)	9,335	9.8
सकल प्राथमिक घाटा	29,803 (1.2)	18,134 (0.7)	33,495 (1.5)	10,198 (0.9)	23,134 (4.1)	11,669	64.3

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

बाक्स IV.4

राजकोषीय दबाव और प्रति-चक्रीय नीति

राजकोषीय नीति अपने संचलन में निहित अथवा अपने आप होनेवाले स्थिरीकरण के माध्यम से या विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतिगत उपायों के माध्यम से आर्थिक गतिविधि पर प्रभाव डालती है। अल्पावधि में राजस्व (क्रमिक कराधान) और व्यय (बेरोजगार बीमा कार्यक्रम) दोनों में अपने आप स्थिरीकरण लानेवाला तत्त्व प्रणाली में कार्यक्षमता को सुनिश्चित करते हुए कार्यान्वित होगा। इस तरह से, आर्थिक मंदी के समय आदर्श नीति में उच्चतर राजकोषीय घाटा समायोजित करने पर बल दिया जायेगा क्योंकि संतुलित बजट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रयास चक्रीय नीति के अनुकूल होगा। तथापि, अपने-आप स्थिरीकरण लाने की समस्या जैसे कि कई यूरोपीय देशों में पायी गयी है घाटे की तरफ झुकाव वाली रही है। इन देशों ने मन्दी के समय विस्तारकारी राजकोषीय नीति अपनायी, परन्तु वे सुधार के समय व्यय को सीमित रखने से चूक गये। यह भी सच है कि स्वतः स्थिरीकरण लानेवाले तत्त्व उत्पादन में चक्रीय घट-बढ़ के प्रति राजस्व की प्रतिक्रिया के संबंध में केवल औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में अधिक संगत होते हैं। विकासशील देशों में व्यय नीति में प्रस्तुत विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति यह सुनिश्चित करती है कि मंदी के समय प्रभावी प्रति-चक्रीय प्रतिक्रिया होती है। अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का मूलभूत सैद्धान्तिक आधार कीन्स के ढांचे पर निर्भर होता है जिससे आर्थिक गतिविधि में सुधार लाने में सहायता होती है।

यूरोपीय मौद्रिक संघ का गठन राजकोषीय नीति के विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसमें 'स्थिरता और वृद्धि समझौते' से अपने आप स्थिरीकरण लाने का मार्ग मजबूत होगा; और संतुलित या अधिशेष बजट से संरचनात्मक घाटे और इसके परिणाम स्वरूप लोक ऋण के संचयन से बचा जा सकेगा। अमरीका, जापान और फ्रान्स जैसे देशों ने नब्बे के दशक की मन्दी में राजकोषीय नीति के सहज दबाव तंत्र से अपने आप स्थिरीकरण लाये। वास्तव में यूरोपीय संघ में कुछ देशों में विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति के कड़े दबाव से 1993 की मन्दी की स्थिति से सुधार होने में विलंब हुआ। ब्रिटेन, स्वीडन और फ्रान्स जैसे देशों ने मन्दी के समय

राजकोषीय नीति में ढीलापन दिया और बाद में उसे सख्त किया। उन्हें अर्थव्यवस्था स्थिर रखने में सफलता मिली, परंतु यह सफलता हासिल करने के लिए उनकी राजकोषीय स्थिति कमजोर हुई और सकल देशी उत्पाद के प्रति काफी उच्चतर ऋण अनुपात होते हुए 1999 में वे कमजोर ही रहीं। दूसरी ओर, अमरीका में अपने-आप राजकोषीय स्थिरीकरण लाने के प्रभावी पूरक के रूप में राजकोषीय नीति ने कार्य किया और बेहतर ऋण स्थिति के साथ स्थिरीकरण का वांछित परिणाम प्राप्त किया गया।

भारत की राजकोषीय स्थिति में राजकोषीय घाटा निरंतर बना रहा है। सरकारी व्यय का स्वरूप अनुत्पादक क्षेत्रों की तरफ झुका है। ब्याज भुगतान और मजदूरी तथा वेतन जैसे प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि हुई है जिससे विकासात्मक और उत्पादक गतिविधियों की ओर संसाधन लगाने के लिए सरकार के लिए कम ही गुंजाइश है। अर्थव्यवस्था में मन्दी को रोकने के लिए राजस्व में मौजूद मन्दी की प्रवृत्ति और व्यय का प्रतिबद्ध स्वरूप राजकोषीय नीति का प्रयोग करने में बाधक बने हुए हैं। प्रायोगिक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि भारत में राजकोषीय घाटा मुख्यतः संरचनात्मक स्वरूप का है और उसमें चक्रीय घटक नगण्य है। भारी संरचनात्मक घाटे का अर्थ है स्वचालित स्थिरीकरण प्रक्रिया पर निर्भर होने के लिए होनेवाली कम गुंजाइश।

संदर्भ

- बुटी, मार्को; हेगन, जर्गन वोन और मेटिनेज - मोनो, कार्लोस (2002)। दि बिहेवियर ऑफ फिस्कल एथोरिटिज - स्टेबिलाइजेशन, ग्रोथ एण्ड इन्स्टट्यूशन्स, पालग्रेव न्यूयार्क।
- नुर्द, पॉल वन देन (2002), एटोमेटिक स्टेबिलाइजर्स इन दि 1990ज एण्ड बीयान्ड इन बुटी, हेगन और मेटिनेज मोनो (2002)।
- हेलर एस. पीटर (2002) 'कन्सिडरिंग दि आइएमएफएज पर्सेप्रिट्व्ह आन ए साउंड फिस्कल पालिसी', आइएमएफ पालिसी डिस्कशन पेपर, जुलाई।

राज्य सरकार के वित्त, 2002-03²

4.14 हाल के वर्षों में राजकोषीय सुधार का ध्यान राज्य-स्तरीय सुधार पर केन्द्रित हुआ है। अधिकाधिक रूप में यह स्वीकार किया जा रहा है कि राज्य वित्त, जिसमें सरकारी क्षेत्र का आम जनता के साथ संबंध आता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों की राजकोषीय नीति में सुधारों का सीधा संबंध जीवन की गुणवत्ता से होता है।

4.15 राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष से अधिक वृद्धि हुई और इसके लिए राज्यों के अपने करों और केन्द्र से प्राप्त अनुदानों में हुई वृद्धि से सहायता मिली। तथापि, सूखे के कारण गतिविधि में आयी मन्दी से कर-राजस्व पर प्रभाव पड़ा। राज्यों की अपनी राजस्व प्राप्तियों (कर और करेतर राजस्व) और साथ ही केन्द्र से विभाजनीय करों की प्राप्तियों में बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में गिरावट आयी। राज्यों के अपने करों में आयी गिरावट का मुख्य कारण था बिक्री-कर वसूली में आयी कमी, जबकि राज्यों के संपत्ति-कर और आय-कर की वसूली बजट अनुमानों से अधिक थी। राज्य लाटरी और ब्याज प्राप्तियों से राज्यों की करेतर राजस्व प्राप्तियां संशोधित अनुमानों

से कम थी, जबकि लाभांश और लाभ बजट अनुमानों से अधिक हो गये। राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियां बाजार उधार में वृद्धि के कारण और राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों के कारण उच्चतर रहीं (सारणी 4.8)।

4.16 उच्चतर पूंजीगत व्यय के कारण संशोधित अनुमानों में कुल व्यय 2002-03 के बजट अनुमानों से अधिक हो गया जो राज्यों के कुल व्यय में बढ़कर 20 प्रतिशत हो गया। केन्द्र और वित्तीय संस्थाओं को की गयी ऋणों की चुकौती में आयी वृद्धि के कारण मुख्यतः पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई जिससे यह परिलक्षित होता है कि केन्द्र ने ऋण-विनियम योजना के अंतर्गत देय उच्च लागत के ऋण का शोधन किया। तथापि, 2002-03 के संशोधित अनुमानों में पूंजीगत परिव्यय बजट अनुमानों से कम रहा (सारणी 4.9)।

4.17 वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में राज्य वित्त के सभी मुख्य घाटा संकेतकों ने राजस्व घाटा तथा साथ ही प्राथमिक घाटा में उल्लेखनीय कमी के साथ विचलन दर्शाया। सकल राजकोषीय घाटा भी बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान में उच्चतर रहा (सारणी 4.10)।

सारणी 4.8 : राज्यों की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

1	2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						7	8
कुल प्राप्तियां (1+2)	4,37,292 (17.7)	4,25,655 (16.6)	3,80,106 (16.6)	1,80,433 (15.2)	91,160 (16.0)	11,637	2.7
1. राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	2,93,873 (11.9)	3,06,844 (12.0)	2,55,599 (11.1)	1,36,803 (11.5)	66,467 (11.7)	-12,971	-4.2
क) कर राजस्व	2,02,518 (8.2)	2,15,049 (8.4)	1,80,275 (7.9)	92,913 (7.8)	44,586 (7.8)	-12,531	-5.8
राज्यों के कर	1,49,358 (6.0)	1,52,590 (6.0)	1,31,710 (5.7)	63,865 (5.4)	30,344 (5.3)	-3,232	-2.1
विभाजनीय कर	53,160 (2.2)	62,459 (2.4)	48,565 (2.1)	29,048 (2.4)	14,242 (2.5)	-9,299	-14.9
ख) करेतर राजस्व	91,355 (3.7)	91,795 (3.7)	75,324 (3.3)	43,891 (3.7)	21,881 (3.8)	-440	-0.5
अनुदान	55,401 (2.2)	54,008 (2.2)	43,048 (1.9)	20,996 (1.8)	12,643 (2.2)	1,393	2.6
राज्यों की अपनी करेतर राशि	35,954 (1.5)	37,787 (1.5)	32,276 (1.4)	22,895 (1.9)	9,238 (1.6)	-1,833	-4.9
2. पूंजीगत प्राप्तियां	1,43,419 (5.8)	1,18,811 (4.6)	1,24,507 (5.4)	43,630 (3.7)	24,693 (4.3)	24,608	20.7

संअ : संशोधित अनुमान। बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शते हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

² अनंतिम आंकड़े जो 28 राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं जिसमें से तीन लेखा अनुदान हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.9 : राज्यों के कुल व्यय

(करोड़ रुपये)

1	2002-03 (संभ)	2002-03 (बआ)	2001-02 4	1995-96 5	1990-91 6	संभ और बआ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
कुल व्यय (1+2)	4,42,609 (17.9)	4,30,842 (16.8)	3,77,555 (16.4)	1,77,584 (14.9)	91,088 (16.0)	11,767	2.7
1. राजस्व व्यय जिसमें से	3,55,175 (14.4)	3,55,159 (13.9)	3,14,833 (13.7)	1,45,004 (12.2)	71,776 (12.6)	16	0.0
समाज सेवा	1,19,039 (4.8)	1,20,698 (4.7)	1,07,655 (4.7)	53,607 (4.5)	27,962 (4.9)	-1,659	-1.4
आर्थिक सेवा	72,803 (2.9)	70,409 (2.8)	65,889 (2.9)	35,669 (3.0)	20,892 (3.7)	2,394	3.4
2. पूंजीगत व्यय जिसमें से	87,434 (3.5)	75,683 (3.0)	62,722 (2.7)	32,580 (2.7)	19,312 (3.4)	11,751	15.5
पूंजी परिव्यय	41,600 (1.7)	43,619 (1.7)	32,206 (1.4)	18,495 (1.6)	9,223 (1.6)	-2,019	-4.6

संभ : संशोधित अनुमान।

बआ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

4.18 सामाजिक दृष्टि से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सीमाओं के पुनर्निर्धारण की महत्वपूर्ण समस्या भौतिक और सामाजिक मूलभूत सुविधा है जो अनिवार्य रूप से जीविका के स्तर में स्थायी सुधार लाती है और इससे राज्य वित्त की सुदृढ़ता पर प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में बिजली क्षेत्र सुधारों को हाल के वर्षों में अत्यंत महत्व प्राप्त हो गया है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ

राज्य विद्युत बोर्ड के प्रारंभ / निगमीकरण के लिए राज्य विद्युत सुधार अधिनियम बनाये हैं। इक्कीस राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग के संविधान (एसइआरसी) को या तो गठित किया है अथवा अधिसूचित किया है। पचीस राज्यों ने राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को देय बकाया राशियों के संबंध में एक-बारगी निपटान योजना के अंतर्गत त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किये हैं (बाक्स IV.5)।

सारणी 4.10 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(करोड़ रुपये)

1	2002-03 (संभ)	2002-03 (बआ)	2001-02 4	1995-96 5	1990-91 6	संभ और बआ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
सकल राजकोषीय घाटा	1,16,730 (4.7)	1,02,882 (4.0)	95,986 (4.2)	31,426 (2.6)	18,787 (3.3)	13,848	13.5
राजस्व घाटा	61,302 (2.5)	48,314 (1.9)	59,233 (2.6)	8,201 (0.7)	5,309 (0.9)	12,988	26.9
प्राथमिक घाटा	42,584 (1.7)	30,629 (1.2)	33,497 (1.5)	9,494 (0.8)	10,132 (1.8)	11,955	39.0

संभ : संशोधित अनुमान।

बआ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

बाक्स IV.5

राज्य - स्तर पर राजकोषीय सुधार संबंधी मामले

हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार को अत्यंत महत्व दिया जा रहा है और उनके संबंध में सब ओर से संवेदनशीलता बढ़ गयी है जो सावधानी से लिये गये नीतिगत निर्णयों से झलकती है। इस संदर्भ में राज्यों द्वारा अपने राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त करने में जिन कृतिपय बाधाओं का सामना किया गया उन्हें ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। व्यय का काफी बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध स्वरूप का होता है। कर और करेतर प्राप्तियों में गिरावट की प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धात्मक बिक्री कर और संबंधित रियायतों से उनकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। राज्यों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाये जाने में राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेषतः विद्युत बोर्ड और परिवहन उपक्रमों को हुई हानि से और बाधा आ रही है।

कई राज्यों ने राजकोषीय सुधार शुरू किये हैं जैसे समेकित ऋण शोधन निधि, गारंटी मोचन निधि की स्थापना, गारंटियों पर सांविधिक और प्रशासनिक सीमा लगाना। अन्य महत्वपूर्ण उपाय मूल्य योजित कर लागू करने के पहले का कार्य पूरा करने और मुख्यतः बिजली, जल और परिवहन से संबंधित उपयोगकर्ता प्रभारों के युक्तिकरण से संबंधित है। व्यय के संबंध में कई राज्यों ने नई भर्ती, नये पदों के सृजन पर प्रतिबंध लगाने और प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को रोकने से राजस्व व्यय को सीमित रखने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने नई भर्ती किये गये स्टाफ के लिए अंशदायी पेन्शन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। कुछ राज्यों ने कानून बनाकर राजकोषीय सुधारों को सांविधिक समर्थन देने के लिए पहल की है।

केन्द्र और राज्यों की सम्मिलित बजट स्थिति

4.19 केन्द्र और राज्यों की मिली-जुली राजस्व प्राप्तियों ने बजट स्तर से गिरावट दर्ज की। करेतर राजस्व में वृद्धि हालांकि सीमांत ही है फिर भी वह कर-वसूली में आयी गिरावट की क्षतिपूर्ति करने के लिए पर्याप्त है। संशोधित अनुमानों में मिली-जुली पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ गयीं जिनका आंशिक कारण था ऋण विनियम योजना के अंतर्गत केन्द्र को उच्च लागतवाले ऋण की समयपूर्व चुकौती करने के लिए राज्यों द्वारा लिये गये अतिरिक्त बाजार उधार। राजस्व व्यय और ऋण तथा अग्रिम पूर्व में अनुमानित स्तर से अधिक होने के कारण संयुक्त सकल व्यय बजट अनुमानों से अधिक हो गया, जबकि पूंजीगत परिव्यय (ऋण और अग्रिमों को छोड़कर पूंजीगत व्यय) ने गिरावट दर्ज की। सामाजिक क्षेत्र में मुख्यतः व्यय में वृद्धि होने के कारण विकास व्यय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर, ब्याज भुगतान और विकासेतर पूंजीगत परिव्यय में कमी के कारण विकासेतर व्यय (अन्यों को छोड़कर) बजट स्तर से कम रहा। वर्ष 2002-03 के संशोधित अनुमानों में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र (केन्द्र और राज्य)

हाल के वर्षों में राज्यों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में उपाय किये हैं। महाराष्ट्र ने राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना के लिए बोर्ड का गठन किया है, जबकि पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विनिवेश आयोग का गठन करने के लिए उपाय किये हैं। बिजली क्षेत्र सुधारों के बारे में राज्यों द्वारा किये गये उपाय टैरिफ संरचना के निर्धारण, बिजली निर्माण, संप्रेषण और वितरण, वृद्धिशील बिजली टैरिफ के लिए विद्युत बोर्ड को अलग-अलग रूप में विभक्त करने, संप्रेषण और वितरण हानियों को कम करने के उपाय के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने से संबंधित है।

केन्द्र ने राज्य स्तर पर राजकोषीय सुधार को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार ने निगरानी योग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के आधार पर राज्यों में राजकोषीय सुधार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन निधि की स्थापना की है। इस योजना के अंतर्गत राज्य मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम बनाते हैं जिनका लक्ष्य होता है राजकोषीय घाटे में कमी करते हुए उसे वहनीय स्तर पर लाना। वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में राज्यों के लिए त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआइबीपी), शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआइएफ), तथा ग्रामीण बुनियादी सुविधा विकास निधि (आरआइडीएफ) जैसी विभिन्न योजनाओं के अधीन सुधार-सम्बद्ध सहायता की रखी गयी राशि 12,300 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में वृद्धि और विकास में बाधाएं आ रही हैं, उनमें नीतिगत सुधारों का कार्यन्वयन करने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त राशि 2,500 करोड़ रुपये है।

के सभी मुख्य घाटा संकेतक बजट स्तर से उच्चतर रहे (सारणी 4.11)।

राजकोषीय घाटों का वित्तपोषण

केन्द्र के घाटे का वित्तपोषण

4.20 नब्बे के दशक की मध्यावधि से अन्य देयताओं और बाह्य वित्तपोषण के अंश में तदनुरूपी गिरावट के साथ केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की मुख्य मद के रूप में बाजार उधार उभरकर सामने आये हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान लगभग 13,000 करोड़ रुपये के बाह्य ऋण के अंश की समय पूर्व-चुकौती सहित भारी राशि की चुकौतियों के कारण बाह्य सहायता के अंतर्गत राशि का बहिर्गम हुआ। बाजार उधार की मात्रा पर प्रभाव डालनेवाली अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि थी अल्प बचत योजनाओं के अधीन जमा हुई समग्र निवल आय 2002-03 से राज्य सरकारों को अंतरित करना। वर्ष 2002-03 के दौरान अर्थोपाय अग्रिमों का औसत उपयोग 4,182 करोड़ रुपये था जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है (सारणी 4.12)।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.11 : केन्द्र और राज्यों के संयुक्त वित्त के संकेतक*

(करोड़ रुपये)

मद	केन्द्र	2002-03	2002-03	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
		(संअ)	(बअ)				राशि	प्रतिशत
सकल राजकोषीय घाटा	केन्द्र	1,45,466	1,35,524	1,40,955	60,243	44,632	9,942	7.3
	राज्य	(5.9)	(5.3)	(6.1)	(5.1)	(7.8)		
	संयुक्त	1,16,730	1,02,882	95,986	31,426	18,787	13,848	13.5
राजस्व घाटा	केन्द्र	2,48,979	2,26,864	2,26,418	77,671	53,580	22,115	9.7
	राज्य	(4.7)	(4.0)	(4.2)	(2.6)	(3.3)		
	संयुक्त	(10.1)	(8.9)	(9.9)	(6.5)	(9.4)		
प्राथमिक घाटा	केन्द्र	1,04,712	95,377	1,00,162	29,731	18,562	9,335	9.8
	राज्य	(4.2)	(3.7)	(4.4)	(2.5)	(3.3)		
	संयुक्त	61,302	48,314	59,233	8,201	5309	12,988	26.9
कुल प्राप्तियां (अ+आ)	केन्द्र	1,66,014	1,43,691	1,59,395	37,932	23,871	22,323	15.5
	राज्य	(6.7)	(5.6)	(6.9)	(3.2)	(4.2)		
	संयुक्त	(29,803)	(18,134)	(33,495)	(10,198)	(23,134)	(11,669)	(64.3)
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	केन्द्र	(1.2)	(0.7)	(1.5)	(0.9)	(4.1)		
	राज्य	42,584	30,629	33,497	9,494	10,132	11,955	39.0
	संयुक्त	(42,584)	(30,629)	(33,497)	(9,494)	(10,132)	(11,955)	(39.0)
आ. पूंजीगत प्राप्तियां (क + ख)	केन्द्र	88,492	64,442	84,048	18,598	28,585	24,050	37.3
	राज्य	(3.6)	(2.5)	(3.7)	(1.6)	(5.0)		
	संयुक्त	(27,5001)	(24,5873)	(25,5678)	(79,102)	(46,641)	(29,128)	(11.8)
आ. पूंजीगत प्राप्तियां (क + ख)	क) ऋणतर पूंजी प्राप्तियां	14,657	19,726	18,158	6,968	3,233	-5,069	-25.7
	ख) ऋणगत पूंजी प्राप्तियां	2,60,344	2,26,147	2,37,520	72,134	43,408	34,197	15.1
	कुल व्यय (4+5)	7,51,917	7,41,724	6,53,354	3,03,586	1,63,673	10,193	1.4
कुल व्यय (4+5)	1. राजस्व व्यय	6,37,614	6,34,357	5,59,624	2,55,457	1,29,628	3,257	0.5
	2. पूंजीगत परिव्यय	71,945	84,310	58,763	32,594	21,370	-12,365	-14.7
	3. ऋण और अग्रिम	25,678	18,589	26,417	14,115	11,589	7,089	38.1
	4. विकास व्यय	3,79,589	3,72,374	3,29,007	1,65,361	98,686	7,215	1.9
	5. विकासेतर व्यय (अन्यों सहित)	3,72,329	3,69,350	3,24,348	1,38,225	64,987	2,979	0.8

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

* राज्यों के आंकड़े 2001-02 के बाद की अवधि के अन्तर्गत आंकड़े हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (सराधा) अर्थात् केन्द्र सरकार का सराधा और राज्य सरकार का सराधा जिसमें से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिये गये उधार को घटाकर प्राप्त राशि।

3. राजस्व घाटा अर्थात् राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय के बीच का अंतर जिसे राजस्व खाते में अंतर-सरकारी लेनदेने से समायोजित किया गया है।

4. सकल प्राथमिक घाटा संयुक्त सराधा में से संयुक्त व्याज भुगतानों को घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है।

सारणी 4.12 : केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

1	2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)	
						राशि	प्रतिशत
बाजार उधार (निवल)	1,12,865	95,859	87,724	33,087	8,001	17,006	17.7
	(77.6)	(70.7)	(62.2)	(54.9)	(17.9)		
अन्य देयताएं	40,799	38,895	49,126	17,031	22,103	1,904	4.9
	(28.0)	(28.7)	(34.9)	(28.3)	(49.5)		
जिसमें से							
अल्प बचत#	0	8,000	8,755	12,761	9,104	-8000	—
	(0.0)	(5.9)	(6.2)	(21.2)	(20.4)		
राज्य भविष्य निधि	8,500	10,000	4,173	2,261	1,221	-1,500	-15.0
	(5.8)	(7.4)	(3.0)	(3.8)	(2.7)		
विशेष जमाराशियाँ	10,280	9,898	8,070	5,295	7,716	382	3.9
	(7.1)	(7.3)	(5.7)	(8.8)	(17.3)		
बाब्य वित्त @	-13,496	770	5,601	318	3,181	-14,266	—
	(-9.3)	(0.6)	(4.0)	(0.5)	(7.1)		
आहरण द्वारा नकदी शेष में कमी	5,298	—	-1,496	9,807	11,347	5,298	—
	(3.6)		(-1.1)	(16.3)	(25.4)		

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

वर्ष 2002-03 से अल्प बचत से संग्रहीत समस्त कुल निवल राशि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अंतरित कर दी गयी है।

@ वर्ष 2002-03 में ₹. 770 करोड़ के बजटीय प्रावधान की निवल बाब्य सहायता की तुलना में संशोधित अनुमान यह दर्शाता है कि ₹. 10,563 करोड़ की बजटीय राशि के स्थान पर ₹. 25,210 करोड़ की उच्चतर चुकौतियों / समय पूर्व भुगतान के कारण निवल बाब्य सहायता ₹. 13,496 करोड़ पर ऋणात्मक रही।

टिप्पणी : कोछकों के आंकड़े सराधा का प्रतिशत हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट दस्तावेज।

4.21 देशी स्रोतों के बीच दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लिये गये बाजार उधारों की तुलना में सामान्यतः उच्चतर लागत पर अल्प बचत और भविष्य निधि के माध्यम से राशियाँ जुटायी गयीं। अल्प बचत ब्याज दर नब्बे के दशक के अंत में इन निधियों पर उपलब्ध कर रियायत के कारण बाजार उधार से उच्च रही। केन्द्र के समग्र लोक ऋण पर औसत ब्याज दर ने 2000-01 से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी जिससे गिल्ट बाजार में निधियाँ जुटाने की लागत में आयी कमी परिलक्षित होती है (सारणी 4.13)।

राज्यों के घाटे का वित्तपोषण

4.22 राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे (सराधा) के वित्तपोषण में बाजार उधारों के अंश में नियमित रूप से वृद्धि हुई है। अल्प बचत प्राप्तियों (राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ) के अंश में गिरावट आने पर भी वह वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बना रहा। संशोधित अनुमानों में केन्द्र से ऋणों का अंश कम रहा जिससे ऋण विनियम योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा की गयी चुकौतियाँ परिलक्षित होती हैं (सारणी 4.14)।

देशी लोक ऋण

केन्द्र सरकार की ऋण स्थिति

4.23 राजकोषीय अंतर बढ़ने से सरकार की बकाया देयाताओं में तीव्र वृद्धि हुई। केन्द्र सरकार के बकाया देशी ऋण में केवल आंतरिक ऋण (मार्च 1999 के अंत में बकाया अल्प बचत के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियों सहित) का अंश 66.4 प्रतिशत था और मार्च 2003 के अंत में 'अन्य देयताओं' जिसमें अल्प बचत और भविष्य निधि आदि शामिल हैं, का अंश 29.9 प्रतिशत था। नब्बे के दशक की मध्यावधि से ऋण-सकल देशी उत्पाद अनुपात में आयी तीव्र वृद्धि ब्याज दरों में गिरावट के बावजूद ब्याज भुगतानों की बढ़ने की प्रवृत्ति में परिलक्षित हुई। इससे वस्तुतः विगत में उच्च ब्याज लागत पर लिये गये ऋण की बकाया देयताओं की पिछली स्थिति परिलक्षित होती है। इससे उच्च ऋण से उच्चतर ब्याज भुगतान, तथा बाद में उच्चतर घाटा, उच्चतर उधार और उच्चतर ऋण में परिवर्तित होकर एक दुश्चक्र का निर्माण करता है।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.13 : केन्द्र की बकाया देयताओं के विभिन्न घटकों संबंधी औसत ब्याज दर#

(प्रतिशत)

वर्ष	आंतरिक ऋण@	जिसमें से बाजार ऋण	अल्प बचतें और भविष्य निधियां	अन्य बाध्यताएं	प्रारक्षित निधियां	देशी देयताएं	बायू ऋण*	लोक ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991-92	7.35	10.43	10.94	0.78	0.63	8.44	8.58	8.46
1992-93	7.84	10.44	10.56	0.79	0.68	8.67	9.55	8.76
1993-94	7.83	11.33	12.96	0.54	0.72	9.18	8.81	9.14
1994-95	7.80	11.94	13.67	0.46	0.90	9.30	8.50	9.22
1995-96	8.32	11.76	12.12	0.78	0.87	9.36	8.67	9.29
1996-97	8.85	11.66	13.46	0.59	1.12	9.96	8.24	9.81
1997-98	9.08	12.04	12.78	0.58	1.34	9.90	7.58	9.71
1998-99	10.24	13.09	11.27	2.14 \$	1.05	10.17	7.89	10.01
1999-00	10.72	13.35	12.60	0.68	0.80	10.79	7.87	10.61
2000-01	10.89	12.99	12.04	0.64	0.34	10.27	7.55	10.11
2001-02	10.82	11.32	11.25	0.44	0.19	9.97	6.55	9.18
2002-03 संअ	9.93	10.69	11.08	0.73	0.25	8.61	6.31	8.49

प्रत्येक घटक के दर की गणना पिछले वर्ष की बकाया देयताओं द्वारा वर्ष में ब्याज भुगतान को विभक्त कर की गयी है।

* बायू ऋण परम्परागत विनियम दरों पर आधारित।

@ आंतरिक ऋण में प्रमुखतः बाजार ऋण, खजाना बिल, रिजर्व बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां, प्रतिपूर्ति और अन्य बांड, विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियां तथा अल्प बचत की जमानत पर जारी प्रतिभूतियां शामिल हैं।

\$ उछाल का आंशिक कारण है पेट्रोलियम उत्पादों के एपीएम के तहत तेल कंपनियों के बकाया दावे के अंश के स्थान पर 1998-99 में उन्हें जारी विशेष बांड पर प्रदत्त ब्याज।

4.24 बैचैन करनेवाली दूसरी बात है ऋण चुकाने की सरकार की उच्च बाध्यता। केन्द्र सरकार के ऋण शोधन में 2002-03 के

दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यद्यपि, दिनांकित प्रतिभूतियों की औसत परिपक्वता अवधि बढ़ाने से चुकौतियों की वृद्धि

सारणी 4.14 : राज्य सरकारों के सकल राजकोषीय घटा के वित्तपोषण का स्वरूप

(करोड़ रुपये)

2002-03 (संअ)	2002-03 (बअ)	2001-02	1995-96	1990-91	संअ और बअ में घटबढ़ (2002-03)		
					राशि	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8
केन्द्र से ऋण	8,138 (7.0)	18,731 (18.2)	9,098 (9.5)	14,801 (47.1)	9,978 (53.1)	-10,593	-56.6
बाजार-उधार	23,264 (19.9)	11,823 (11.5)	17,017 (17.7)	5,888 (18.7)	2,556 (13.6)	11,441	96.8
एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	49,865 (42.7)	40,179 (39.1)	37,900 (39.5)	Nil	Nil	9,686	24.1
राज्य भविष्य निधि	9,656 (8.3)	10,086 (9.8)	9,923 (10.3)	4,201 (13.4)	2,489 (13.2)	-430	-4.3
अन्य*	25,807 (22.1)	22,064 (21.4)	22,048 (23.0)	6,536 (20.8)	3,764 (20.0)	3,743	17.0

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

एनएसएसएफ : केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि।

* इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से ऋण, प्रारक्षित निधि, जमा और अग्रिम राशियां आदि शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों के आंकड़े सकल राजकोषीय घटा का प्रतिशत दर्शते हैं।

2. वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ हुई संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के तहत अल्प बचत में राज्यों के अंश को, केन्द्र से ऋण के अंतर्गत रखा गया था उसे केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों की तुलना में प्राप्ति के रूप में समझा गया है और उन्हें राज्य सरकारों के आंतरिक ऋण के तहत शामिल किया गया है।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 4.15 : संयुक्त देयताएं और ऋण-सदेउ अनुपात


वर्ष (मार्च-समाप्ति)	बकाया देयताएं			ऋण-सदेउ अनुपात		
	(करोड़ रुपये)			(प्रतिशत में)		
	केन्द्र	राज्य	संयुक्त	केन्द्र	राज्य	संयुक्त
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	3,14,558	1,10,289	3,50,957	55.3	19.4	61.7
1995-96	6,06,232	2,12,225	6,89,545	51.0	17.9	58.0
2001-02	13,66,408	5,89,797	16,32,084	59.5	25.7	71.1
2002-03 (संअ.)	15,61,875	6,94,289	18,66,626	63.2	28.1	75.5

संअं : संशोधित अनुमान।
टिप्पणी: राज्यों से सर्वधित आंकड़े अनंतिम हैं।

रोकने में हाल के वर्षों में सहायता मिली है फिर भी, 1990-91 से 2002-03 तक की अवधि के दौरान औसतन ऋण शोधन केन्द्र सरकार के सकल बाजार उधार के 70 प्रतिशत से भी अधिक रहा है (चार्ट IV.2)।

राज्यों के ऋण

4.25 सकल राजकोषीय घाटे के उच्च स्तर से हाल के वर्षों में राज्यों की ऋण स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्यों का कुल बकाया ऋण 2002-03 में 17.7 प्रतिशत बढ़ गया और मार्च 2003 के अंत तक राज्यों का ऋण - सकल देशी उत्पाद अनुपात बढ़कर 28.1 प्रतिशत हो गया।



संयुक्त ऋण

4.26 केन्द्र और राज्य सरकारों की मिली-जुली बकाया देयताएं 2002-03 में बढ़ गयीं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 1990-91 से 2002-03 तक की अवधि के बीच प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत से अधिक की गति से बढ़ीं (सारणी 4.15)।

आकस्मिक देयताएं / सरकार की गारंटियां

4.27 सरकारी वित्त की वहनीयता के लिए आकस्मिक देयताओं के निहितार्थ का आकार बढ़ता है। राज्यों के संबंध में गारंटी की मात्रा में वर्ष 2001-02 में कुछ सुधार दिखायी दिया है। राज्य सरकारों की आकस्मिक देयताओं में अनिवार्य रूप से बाजार से उधार लेने के लिए विशेष प्रयोजन के साधन (स्पेशल पर्पज व्हीकल) के गठन की परंपरा परिलक्षित होती है। कम उपयोगकर्ता प्रभार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अदक्ष परिचालनों के कारण ये आकस्मिक देयताएं राजकोषीय प्रणाली की स्थिरता और वहनीयता के लिए संभाव्य खतरा बनी हुई हैं (सारणी 4.16)।

4.28 राज्य सरकार द्वारा गारंटी के संबंध में तकनीकी समिति (1999) की सिफारिश के अनुसरण में कई राज्यों ने गारंटी में वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए गारंटी उम्मोदन निधि की स्थापना और गारंटी के बारे में सांविधिक एवं प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण जैसे उपाय किये हैं। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने बकाया गारंटीकृत राशि पर गारंटी कमीशन लगाने पर विचार किया है। राज्य सरकारों द्वारा गारंटी सीमित रखने के बारे में 'राज्य सरकार द्वारा गारंटी के राजकोषीय जोखिम मूल्यांकन दल' (2002) की हाल की रिपोर्ट में कई सिफारिशों की गयी हैं ताकि राजकोषीय जोखिम को नियंत्रण में रखा जा सके (बाक्स IV.6)।

सारणी 4.16 : बकाया सरकारी गारंटिया

(करोड़ रुपये)

वर्ष (मार्च-समाप्ति)	केन्द्र		राज्य		कुल	
	राशि	सदेत का प्रतिशत	राशि	सदेत का प्रतिशत	राशि	सदेत का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1992-93	58,088	7.8	42,515	5.7	1,00,603	13.4
1993-94	62,834	7.3	48,866	5.7	1,11,700	13.0
1994-95	62,468	6.2	48,479	4.8	1,10,947	11.0
1995-96	65,573	5.5	52,631	4.4	1,18,204	9.6
1996-97	69,748	5.1	63,409	4.6	1,33,157	9.7
1997-98	73,877	4.9	73,751	4.8	1,47,628	9.7
1998-99	74,606	4.3	97,454	5.6	1,72,060	9.9
1999-2000	83,954	4.3	1,32,029	6.8	2,15,983	11.2
2000-01	86,862	4.1	1,68,712	8.0	2,55,574	12.1
2001-02 (अ)	95,859	4.2	1,66,116	7.2	2,62,975	11.5

टिप्पणी : पूर्णांकन के कारण हो सकता है कि अनुपात कुल जोड़ से न मेल खाये।

अ - अनंतिम।

स्रोत : 1. केन्द्र की गारंटियों से संबंधित आंकड़े केन्द्र सरकार के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए हैं।

2. राज्यों की गारंटी के आंकड़े राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं और 17 प्रमुख राज्यों से संबंधित हैं।

बाक्स IV.6

राज्य सरकारों की गारंटी के राजकोषीय जोखिम

राजकोषीय विश्लेषण में सरकार की आकस्मिक देयताओं को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। राजकोषीय स्थिरता और निर्वहनीयता का केन्द्र बिन्दु है आकस्मिक देयताओं के राजकोषीय जोखिम को मान्यता देना, उसकी पहचान करना, उसका वर्गीकरण करना और उसके लिए प्रावधान करना। भारत में कई बजट प्रतिबंधों से राज्य सरकारों को राज्य स्तरीय उपक्रमों या विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल पर्फज व्हीकल) के माध्यम से गारंटी द्वारा समर्थित बजटेतर वित्तपोषण का सहारा लेना पड़ा जिससे नब्बे के दशक के अंतिम पांच वर्षों में उसमें तीव्र वृद्धि हुई। राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिये जाने के संबंध में तकनीकी समिति (फरवरी 1999) ने सिफारिश की है कि राज्यों को गारंटियों पर उच्चतम सीमा निश्चित करनी चाहिए, गारंटी जारी करने में कुछ चयनात्मकता होनी चाहिए, तथा गारंटी संबंधी जानकारी व्यापक होनी चाहिए और उसे बजट दस्तावेजों में प्रकट किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की गारंटियों के राजकोषीय जोखिम संबंधी आकलन दल का गठन किया गया जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार की गारंटियों

के राजकोषीय जोखिम का मूल्यांकन करने की पद्धति पर विचार करेगा। इस दल की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

- बजट संसाधनों से जिस गारंटी की पूर्ति की जानी है उसे ऋण के समकक्ष पहचाना और माना जाना चाहिए।
- अन्य गारंटियों के लिए परियोजनाओं/गतिविधियों का वर्गीकरण और उचित जोखिम भार निर्धारित करने की आवश्यकता है।
- गारंटी और भावी विकास की योजना बनाना।
- मध्यवर्ती वित्तीय संस्थाओं को अपने अधिनियमों/नीतियों में संशोधन करना चाहिए और गारंटियों पर अड़े रहने की पद्धति समाप्त करनी चाहिए।
- बजट दस्तावेजों में गारंटी संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रकाशन।
- गारंटी के लिए राज्य स्तरीय निगरानी इकाई।
- प्रत्येक वर्ष विशेषतः अतिरिक्त राजकोषीय जोखिम की पूर्ति करने के लिए बकाया गारंटी की न्यूनतम एक प्रतिशत राशि गारंटी प्रतिमोद्देश निधि में अंतरित करना।

कर, सीमा-शुल्क और सेवा-कर से कर-राजस्व में वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। सकल कर-वसूली में से राज्यों का अंश 25.3 प्रतिशत है। कर-वसूली में सुधार के लिए परिकल्पित उपाय कराधार को व्यापक बनाने और अनुपालन में सुधार करने पर निर्भर है। संविधान में संशोधन, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक अनुप्रयोग करके कर-प्रशासन में सुधार, और सीमा शुल्क के अधिक युक्तिकरण के माध्यम से व्यापक रूप में कर प्रणाली में सेवाओं को शामिल करके इसे प्राप्त करना होगा। व्याज प्राप्ति और लाभांश तथा लाभ के रूप में करेतर राजस्व में गिरावट आने का अनुमान है। पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि

राजकोषीय दृष्टिकोण

केन्द्रीय बजट, 2003-04

4.29 केन्द्रीय बजट 2003-04 में बजटीय बाधाओं को कम करने और आधुनिक कर-प्रणाली के अंतर्गत राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने की प्रतिबद्धता के साथ राजकोषीय समेकन को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। सभी मुख्य घाटा संकेतक 2002-03 की तुलना में कम रहने का अनुमान है (सारणी 4.17)।

4.30 बजट में कर प्राप्तियों के उछाल में सुधार लाने के लिए प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, निगम-कर, आय-

सरकारी वित्त

सारणी 4.17 : केन्द्र की राजकोषीय स्थिति

1	2003-04 (बआ)	2002-03 (संअ)	घटबड़ (संअ की तुलना में बआ)		(करोड़ रुपये)
			राशि	प्रतिशत	
			3	4	
कुल प्राप्तियां/ व्यय	4,38,795 (16.0)	4,04,013 (16.3)	34,782	8.6	
राजस्व प्राप्तियां	2,53,935 (9.3)	2,36,936 (9.6)	16,999	7.2	
पूंजीगत प्राप्तियां	1,84,860 (6.7)	1,67,077 (6.8)	17,783	10.6	
राजस्व व्यय	3,66,227 (13.3)	3,41,648 (13.8)	24,579	7.2	
पूंजीगत व्यय	72,568 (2.6)	62,365 (2.5)	10,203	16.4	
सकल राजकोषीय घाटा	1,53,637 (5.6)	1,45,466 (5.9)	8,171	5.6	
राजस्व घाटा	1,12,292 (4.1)	1,04,712 (4.2)	7,580	7.2	
सकल प्राथमिक घाटा	30,414 (1.1)	29,803 (1.2)	611	2.1	

संअ : संशोधित अनुमान।

बआ : बजट अनुमान।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

दर्शाये जाने के बजट अनुमान का मुख्य कारण है - विनिवेश से अनुमानित आय में तीव्र वृद्धि (सारणी 4.18)।

4.31 केन्द्रीय बजट में व्यय की मात्रा नियंत्रित रखने, नकदी - प्रबंध में सुधार लाने और ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया की गति बढ़ाने के लिए नये उपाय किये गये हैं। इस प्रयास में मुख्य बाधा है - राजस्व व्यय, जो 2003-04 में समग्र व्यय में प्रत्याशित वृद्धि के 70 प्रतिशत से अधिक है, को कम न कर पाने की बाध्यता। योजनेतर राजस्व व्यय, जिसमें ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, और सब्सिडी जैसे बहिर्वाहि निहित होते हैं, राजस्व व्यय का लगभग 80 प्रतिशत होगा। 2003-04 के दौरान केवल ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 48.5 प्रतिशत होंगे। वर्ष 2003-04 के दौरान व्यय के स्वरूप की उल्लेखनीय विशेषता है पूंजीगत परिव्यय में होनेवाली वृद्धि, जबकि ऋण और अग्रिमों में गिरावट आने का अनुमान है (सारणी 4.19)।

राज्य बजट, 2003-04

4.32 वर्ष 2003-04 के राज्य बजट में राजस्व बढ़ाने और व्यय को नियंत्रित रखने के जरिये राजकोषीय समेकन के प्रयास जारी रखने की परिकल्पना की गयी है। ऐसा अनुमान है कि

सारणी 4.18 : केन्द्र की प्राप्तियां

1	2003-04 (बआ)	2002-03 (संअ)	घटबड़ (संअ की तुलना में बआ)		2003-04 (बआ)	2002-03 (संअ)	घटबड़ (संअ की तुलना में बआ)		
			राशि	प्रतिशत			राशि	प्रतिशत	
कुल प्राप्तियां	4,38,795 (16.0)	4,04,013 (16.3)	34,782	8.6	कुल प्राप्तियां	4,38,795 (16.0)	4,04,013 (16.3)	34,782	8.6
राजस्व प्राप्तियां	2,53,935 (9.3)	2,36,936 (9.6)	16,999	7.2	राजस्व प्राप्तियां	2,53,935 (9.3)	2,36,936 (9.6)	16,999	7.2
कर राजस्व (निवल)	1,84,169 (6.7)	1,64,177 (6.6)	19,992	12.2	कर राजस्व (निवल)	1,84,169 (6.7)	1,64,177 (6.6)	19,992	12.2
सकल कर राजस्व	2,51,527 (9.2)	2,21,918 (9.0)	29,609	13.3	सकल कर राजस्व	2,51,527 (9.2)	2,21,918 (9.0)	29,609	13.3
जिसमें से :					जिसमें से :				
कंपनी कर	51,499 (1.9)	44,700 (1.8)	6,799	15.2	कंपनी कर	51,499 (1.9)	44,700 (1.8)	6,799	15.2
आय कर	44,070 (1.6)	37,300 (1.5)	6,770	18.2	आय कर	44,070 (1.6)	37,300 (1.5)	6,770	18.2
सीमा शुल्क	49,350 (1.8)	45,500 (1.8)	3,850	8.5	सीमा शुल्क	49,350 (1.8)	45,500 (1.8)	3,850	8.5
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	96,791 (3.5)	87,383 (3.5)	9,408	10.8	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	96,791 (3.5)	87,383 (3.5)	9,408	10.8
पूंजीगत प्राप्तियां	1,84,860 (6.7)	1,67,077 (6.8)	17,783	10.6	पूंजीगत प्राप्तियां	1,84,860 (6.7)	1,67,077 (6.8)	17,783	10.6
जिसमें से :					जिसमें से :				
चुकौतियां	18,023	18,251	-228	-1.2	चुकौतियां	18,023	18,251	-228	-1.2
विनिवेश	13,200	3,360	9,840	292.9	विनिवेश	13,200	3,360	9,840	292.9
बाजार उधार राशियां	1,07,194	1,12,865	-5,671	-5.0	बाजार उधार राशियां	1,07,194	1,12,865	-5,671	-5.0
राज्य भविष्य निधियां	7,500	8,500	-1,000	-11.8	राज्य भविष्य निधियां	7,500	8,500	-1,000	-11.8
विशेष जमाराशि	9,970	10,280	-310	-3.0	विशेष जमाराशि	9,970	10,280	-310	-3.0
बाब्य वित्त	3,582	-13,496	17,078	-	बाब्य वित्त	3,582	-13,496	17,078	-
अन्य	25,391	27,317	-1,926	-7.1	अन्य	25,391	27,317	-1,926	-7.1

संअ : संशोधित अनुमान।

बआ : बजट अनुमान।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सदेत का प्रतिशत दर्शाते हैं।

राजस्व घाटा, जो 2002-03 में सकल देशी उत्पाद के 2.5 प्रतिशत था, 2003-04 में कम होकर 1.8 प्रतिशत होगा और इससे राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा, जो 2002-03 में 4.7 प्रतिशत था, 2003-04 में घटकर 4.0 प्रतिशत होगा।

4.33 राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 13.3 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इस वृद्धि में राज्यों की कर और करेतर प्राप्तियों से बनी अपनी स्वयं की राजस्व प्राप्तियों से उल्लेखनीय उच्च अनुपात (65 प्रतिशत) का योगदान दिया जायेगा। इस तरह से 2003-04 में राज्यों के स्वयं के राजस्व संसाधनों से सकल व्यय के प्रमुख भाग का वित्तपोषण होने का अनुमान है (सारणी 4.20)। राज्यों की पूंजीगत प्राप्तियों में मुख्यतः ऋणों और अग्रिमों की वसूली, बाजार उधार और प्रारक्षित निधि के कारण गिरावट आने का अनुमान है।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.19 : केन्द्र का कुल व्यय

(करोड़ रुपये)

1	2	3	बटबढ़	
			(3 की तुलना में 2)	राशि प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल व्यय (1+2=3+4)	4,38,795 (16.0)	4,04,013 (16.3)	34,782	8.6
1. योजनेतर व्यय	3,17,821 (11.6)	2,89,924 (11.7)	27,897	9.6
जिसमें से:				
ब्याज भुगतान	1,23,223 (4.5)	1,15,663 (4.7)	7,560	6.5
रक्षा	65,300 (2.4)	56,000 (2.3)	9,300	16.6
आर्थिक सहायता	49,907 (1.8)	44,618 (1.8)	5,289	11.9
2. योजनागत व्यय	1,20,974 (4.4)	1,14,089 (4.6)	6,885	6.0
3. राजस्व व्यय	3,66,227 (13.3)	3,41,648 (13.8)	24,579	7.2
4. पूंजीगत व्यय	72,568 (2.6)	62,365 (2.5)	10,203	16.4

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े सदैद का प्रतिशत दर्शाते हैं।

4.34 राज्यों के कुल व्यय की वृद्धि दर (2002-03 के संशोधित अनुमान में) 17.2 प्रतिशत से कम होकर 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जिससे राज्यों द्वारा व्यय कम करने के लिए किये गये उपायों के परिणाम परिलक्षित होते हैं। वर्ष 2003-04 में, कुल व्यय में विकास व्यय के अंश में मुख्यतः आर्थिक सेवाओं

सारणी 4.20 : राज्यों के व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां

वर्ष	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में एसओआर		निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में सीटीआर	
	राजस्व व्यय	कुल व्यय	राजस्व व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5
1990-91	55.1	43.4	37.5	29.5
1995-96	59.8	48.9	34.5	28.2
2000-01	51.3	43.0	30.4	25.5
2001-02	52.1	43.4	29.1	24.3
2002-03 (संअ)	52.2	41.9	30.6	24.5
2003-04 (बअ)	55.1	44.2	32.0	25.7

संअ : संशोधित अनुमान।

एसओआर : राज्यों की स्व-राजस्व प्राप्तियां।

सीटीआर : केन्द्र से चालू अंतरण अर्थात् विभाजनीय कर और अनुदान।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

सारणी 4.21 : राज्य सरकारों के व्यय का स्वरूप

(कुल व्यय का प्रतिशत)

1	2	3	4	5	2003-04	2002-03	2001-02	1995-96	1990-91
					(बअ)	(संअ)			
1	2	3	4	5	6				
I. विकास व्यय (कम-ख)			54.8	56.0	57.4	64.7	69.5		
क) राजस्व			42.3	43.3	46.0	50.3	53.5		
ख) पूंजीगत			12.5	12.7	11.4	14.4	15.9		
II. विकासेतर व्यय (ग-घ)			37.2	36.3	36.6	31.2	24.8		
ग) राजस्व			36.4	35.5	36.2	30.5	24.3		
घ) पूंजीगत			0.8	0.8	0.4	0.7	0.5		
III. अन्य(ड+च)			8.0	7.7	6.1	4.2	5.8		
ड) राजस्व @			1.5	1.4	1.2	0.9	1.0		
च) पूंजीगत *			6.5	6.3	4.8	3.3	4.7		

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

@ इसमें स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति और करार, सहायता अनुदान में अंशदान तथा वित्तीय विभागों के पास रिजर्व शामिल हैं।

** इसमें दिये गये आंतरिक ऋण और केन्द्र को ऋणों की चुकैतियां शामिल हैं।

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।

के संबंध में व्यय में कमी के कारण गिरावट आने का अनुमान है (सारणी 4.21)

4.35 राज्यों के विकासेतर व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय और पेशन ये तीन मद्देश शामिल होती हैं। इन तीनों मद्देश पर किया जानेवाला सम्मिलित व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम होने का अनुमान है (सारणी 4.22)।

सारणी 4.22 : राज्यों के विकासेतर व्यय के अंतर्गत चुनिंदा मद्देश

(करोड़ रुपये)

वर्ष	ब्याज	पेशन	प्रशासनिक सेवाएं	कुल
				(2+3+4) 5
1	2	3	4	5
1990-91	8,655	3,593	7,018	19,266
1995-96	21,932	7,813	13,391	43,136
2001-02	62,489	28,197	27,069	117,755
2002-03 (संअ)	74,147	31,989	28,740	134,876
2003-04 (बअ)	82,287	35,723	30,490	148,501
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में				
1990-91	13.0	5.4	10.6	29.0
1995-96	16.0	9.4	9.8	35.2
2001-02	24.4	11.0	10.6	46.1
2002-03 (संअ)	25.2	10.9	9.8	45.9
2003-04 (बअ)	24.7	10.7	9.2	44.6
संअ : संशोधित अनुमान।				
बअ : बजट अनुमान।				
स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।				

सारणी 4.23 : केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटों की गणना

वर्ष	करोड़ रुपये			सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत		
	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	53,580	23,871	28,585	9.4	4.2	5.0
1995-96	77,671	37,932	18,598	6.5	3.2	1.6
1996-97	87,244	48,768	17,156	6.4	3.6	1.3
1997-98	1,10,743	62,782	32,466	7.3	4.1	2.1
1998-99	1,57,053	1,10,618	63,956	9.0	6.4	3.7
1999-2000	1,84,826	1,21,393	74,375	9.5	6.3	3.8
2000-01	1,99,852	1,38,803	77,885	9.5	6.6	3.7
2001-02	2,26,418	1,59,395	84,048	9.9	6.9	3.7
2002-03 (बअ)	2,26,864	1,43,691	64,442	8.9	5.6	2.5
2002-03 (संअ)	2,48,976	1,66,014	88,492	10.1	6.7	3.6
2003-04 (बअ) @	2,51,951	1,61,300	76,463	9.2	5.9	2.8

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

@ सदैउ का प्रतिशत वर्ष 2003-04 के केन्द्र सरकार के बजट अनुमान में अंतर्निहित साकेतिक सकल देशी उत्पाद के आधार पर निकाले गये हैं।

2003-04 का संयुक्त बजट

4.36 नब्बे के दशक की मध्यावधि में मिले-जुले सकल राजकोषीय घाटे में उल्लेखनीय कमी लायी गयी; तथापि नब्बे के दशक के अंत तक वह फिरसे सुधार-पूर्व स्तर पर आ गया। वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान में सरकारी क्षेत्र के सभी मुख्य घाटा संकेतक सकल देशी उत्पाद की तुलना में कम दर्शाये गये हैं। व्यय में वृद्धि को कम करके और कर उछाल में सुधार करके सकल देशी उत्पाद की तुलना में घाटा संकेतकों में कटौती की कल्पना की गयी है (सारणी 4.23)।

4.37 केन्द्र और राज्यों की मिली जुली राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने और उससे मिले जुले कर - सकल देशी उत्पाद अनुपात में सुधार होने का अनुमान है। विकास व्यय में सामाजिक क्षेत्र के अंश में

कटौती के कारण कम वृद्धि होकर वह सकल देशी उत्पाद के 8.2 प्रतिशत होने का अनुमान है (सारणी 4.24)।

वित्तपोषण

4.38 केन्द्र की समग्र उधार आवश्यकता (सकल राजकोषीय घाटा) 2003-04 में 8,171 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। ‘अन्य देशी देयताएं’ वित्तपोषण की दूसरी महत्वपूर्ण मद होने के कारण बाजार उधार से सकल राजकोषीय घाटा के मुख्य अंश का वित्तपोषण होगा। उधार ली गयी राशियों का उपयोग करते समय सकल राजकोषीय घाटा के भारी अंश का उपयोग राजस्व घाटे के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहेगा (सारणी 4.25)।

सारणी 4.24 : केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और वितरण

(करोड़ रुपये)

	2003-04 (बअ)	2002-03 (संअ)	बअ और संअ में घट-बढ	
			(राशि)	(प्रतिशत)
1	2	3	4	5
I. कुल प्राप्तियां (अ+आ)	8,04,728	7,46,601	58,127	7.8
अ. राजस्व प्राप्तियां (1+2)	5,20,320	4,71,600	48,720	10.3
1. कर प्राप्तियां	4,11,263	3,66,696	44,567	12.2
क) प्रत्यक्ष कर	1,17,503	1,03,858	13,645	13.1
ख) अप्रत्यक्ष कर	2,93,760	2,62,838	30,922	11.8
2. करेतर प्राप्तियां	1,09,057	1,04,904	4,153	4.0
आ. पूँजीगत प्राप्तियां	2,84,408	2,75,001	9,407	3.4
II. कुल वितरण (अ+आ)	8,11,321	7,51,917	59,404	7.9
अ. विकास व्यय	3,99,926	3,79,589	20,337	5.4
आ. विकासेतर व्यय (अन्यों सहित)	4,11,395	3,72,329	39,066	10.5

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

वार्षिक रिपोर्ट

सारणी 4.25 : केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण और वियोजन

(प्रतिशत)

वर्ष	सराधा का वित्तपोषण					सराधा का वियोजन		
	बाजार उधार	अन्य देयताएं	बाब्य वित्तपोषण	91 दिवसीय खजाना बिल	राजस्व घाटा	पूँजीगत परिव्यय @	ऋण और अग्रिम*	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1990-91	17.9	49.5	7.1	25.4	41.6	27.2	31.2	
1991-92	20.7	45.5	14.9	18.9	44.8	23.0	32.2	
1992-93	9.2	47.0	13.2	30.6	46.2	29.0	24.7	
1993-94	48.0	25.4	8.4	18.2	54.3	22.0	23.7	
1994-95	35.2	56.9	6.2	1.7	53.8	16.1	30.1	
1995-96	54.9	28.3	0.5	16.3	49.4	21.1	29.6	
1996-97	30.0	45.8	4.5	19.8	48.9	20.6	30.5	
1997-98	36.5	63.3	1.2	-1.0	52.2	18.7	29.1	
1998-99	60.9	37.6	1.7	-0.2	59.1	11.4	29.5	
1999-00	67.1	30.9	1.1	0.8	64.6	21.3	14.1	
2000-01	61.4	33.3	6.3	-1.0	71.7	19.0	9.2	
2001-02	62.2	34.9	4.0	-1.1	71.1	16.3	12.7	
2002-03 (संअ)	77.6	28.0	-9.3	3.6	72.0	18.6	9.5	
2003-04 (बअ)	69.8	27.9	2.3	0.0	73.1	18.9	8.0	

@ विनिवेश प्राप्तियों को छोड़कर।

* ऋण वसूलियों को छोड़कर।

4.39 अल्प बचत प्राप्तियां राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बना रहेगा जो 2003-04 सकल राजकोषीय घाटा के 58.0 प्रतिशत है। केन्द्र और राज्य भविष्य निधि से लिये गये ऋणों से सकल राजकोषीय घाटे के 10.7 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत का वित्तपोषण होने का अनुमान है। तथापि, 2002-03 में बाजार उधार के अंश में गिरावट आकर वह 19.9 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत तक हो जाने का अनुमान है। शेष अंश का वित्तपोषण वित्तीय संस्थाओं, प्रारक्षित निधि, जमा और अग्रिमों, आदि से होने का अनुमान है।

4.40 केन्द्र और राज्य की मिली-जुली उधार आवश्यकता (सराधा) 1990-91 और 2002-03 के बीच औसतन 15.3 प्रतिशत बढ़ गयी। तथापि, 2003-04 की उधार आवश्यकता 1.2 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़ जाने का अनुमान है (सारणी 4.26)।

4.41 वर्ष 2003-04 के राज्य बजट के परिप्रेक्ष्य में राजकोषीय समेकन के मुख्य उपाय किये गये हैं। कुछ राज्यों ने नये भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए नई अंशदायी पेन्शन योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। मूल्य योजित कर लागू करने के संबंध में प्रारंभिक कार्य चल रहा है। कई राज्यों द्वारा व्यक्त आशंका को देखते हुए केन्द्रीय बजट 2003-04 केन्द्र सरकार मूल्य योजित कर लागू होने के बाद पहले वर्ष हानि के शत-प्रतिशत, दूसरे वर्ष हानि के 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष हानि के 50 प्रतिशत की क्षतिपूर्ति करेगी।

4.42 1 नवंबर 2002 से गठित बारहवें वित्त आयोग से अपेक्षित है कि वह निवल कर-प्राप्तियों को केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित करने और राज्यों के सहायता-अनुदान के नियंत्रक सिद्धांतों की समीक्षा करने के बारे में सिफारिश करेगा। 2003-04 के केन्द्रीय बजट में

सारणी 4.26 : केन्द्र और राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये)

वर्ष	बाजार उधार	राज्य भविष्य निधि	अल्प बचत	बाब्य उधार	अन्य	सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	1,04,741 (46.3)	14,096 (6.2)	43,773 (19.3)	5,601 (2.5)	58,206 (25.7)	2,26,417 (100.0)
2002-03 (बअ)	1,07,682 (47.5)	20,086 (8.9)	40,000 (17.6)	770 (0.3)	58,327 (25.7)	2,26,865 (100.0)
2002-03 (संअ)	1,36,129 (54.7)	18,156 (7.3)	52,200 (21.0)	-13,496 -(5.4)	55,990 (22.5)	2,48,979 (100.0)
2003-04 (बअ)	1,20,683 (47.9)	16,063 (6.4)	60,000 (23.8)	3,582 (1.4)	51,622 (20.5)	2,51,950 (100.0)

संअ : संशोधित अनुमान।

बअ : बजट अनुमान।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े सराधा का प्रतिशत दर्शाते हैं।

संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को सेवाओं पर कर लगाने और आय वसूल करने का अधिकार होगा।

4.43 ग्राहवं वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रोत्साहन निधि स्थापित की गयी है जिसका उद्देश्य है ‘राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा’ (2000-01 से 2004-05 तक) के अंतर्गत निगरानीयोग्य राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के आधार पर राज्यों में राजकोषीय सुधार को बढ़ावा देना। अब तक अठारह राज्यों ने मध्यावधि में व्यापक राजकोषीय संकेतकों का लक्ष्य निर्धारित करके और राजकोषीय समेकन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार, बिजली क्षेत्र सुधार तथा राजकोषीय पारदर्शिता जैसे विविध पहलुओं को समाविष्ट करके मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम बनाया है। योजना आयोग भी यह सुनिश्चित करके मध्यावधि राजकोषीय सुधार कार्यक्रम को समर्थन देता है कि वार्षिक कार्य की रूपरेखा उसके अनुसार है। बारहवां वित्त आयोग केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गयी राजकोषीय सुधार सुविधा की समीक्षा करेगा और उसके उद्देश्यों को वास्तविक रूप में प्राप्त करने के लिए उपाय सुझायेगा।

4.44 लोकसभा में संशोधित राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंध विधेयक पारित होने के साथ राजकोषीय और राजस्व घाटों में कटौती तथा केन्द्र के उधार लेने में चरणबद्ध कमी के जरिए ठोस राजकोषीय प्रबंध किये जाने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की परिकल्पना की गयी है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि देशी और वैश्विक घटकों के कारण असाधारण परिस्थिति बन सकती है, संशोधित विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि राजकोषीय लक्ष्य विधि-निर्माण द्वारा कानून का अंश होने के बजाय नीति नियमों का अंश होना चाहिए ताकि कानूनी हस्तक्षेप और राजकोषीय अनिवार्यताओं से निपटने के लिए आवश्यक नम्यता के बीच संतुलन लाया जा सके। राज्यों के स्तर पर कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु ने पहले ही राजकोषीय जवाबदेही कानून बनाया है। केरल ने अपने-अपने विधान मण्डल में राजकोषीय जवाबदेही विधेयक पारित किया है। महाराष्ट्र राज्य में ऐसा ही विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है।

संभावना

4.45 वर्ष 2003-04 की राजकोषीय नीति के अनुसार राजकोषीय घाटे में निम्नमुखी अनम्यता और सामाजिक एवं भौतिक बुनियादी सुविधा पर सरकारी क्षेत्र के परिव्यय का क्षरण ये चिंता के दो प्रमुख विषय हैं। राजस्व घाटे के माध्यम से संसाधनों के बढ़ते पूर्व-क्रय में सम्मिलित सरकारी क्षेत्र के अधिव्यय को रोकने की आवश्यकता बढ़ रही है। केन्द्र के राजस्व घाटे को समाप्त किया जाना अब मध्यावधि संवैधानिक उद्देश्य है। राजकोषीय प्राधिकारियों को ऐसे राज्यों में जहां राज्यों ने पहले से ही राजकोषीय जवाबदेही कानून बनाने की

दिशा में कार्रवाई शुरू की गयी है कठिन निर्णय लेना होगा जैसे चालू उपभोग व्ययों के लिए निधियों को निश्चित करने की प्रथा समाप्त करनी होगी। कारोबारी चक्र की वर्तमान अवस्था में कर-सकल देशी उत्पाद अनुपात की निरंतर गिरावट के परिप्रेक्ष्य में राजस्व बढ़ाने के साथ सम्बद्ध प्राथमिकता को निवेश मांग को बढ़ावा देने और उपभोग व्ययों को जारी रखने की आवश्यकता के साथ संतुलित रखना चाहिए। परिणामतः, राजस्व जुटाने के प्रयासों में कर-व्यवस्था में सुधार, कर-संरचना का युक्तिकरण और मूल्य योजित कर-प्रणाली के कार्यान्वयन और कर संजाल में सेवाओं को सम्मिलित करते हुए कराधार को व्यापक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परिवेश बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को तेजी से लगाने पर बल देना होगा। मूल्य-योजित कर परिवेश में विदेशी अनुभव में प्रारंभ में पायी गयी कमियां संभवतः अंत में एकसमानता और विशेषतः राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अवरोधक दरारों से प्राप्त उछाल से प्रतिसंतुलित कमियों से अधिक होगी।

4.46 जहां व्यय प्रबंध को नये उत्साह से आगे जारी रखा जायेगा वहीं राजस्व के संबंध में परिकल्पित सुधारों से राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया द्वारा लादे गये पूंजीगत परिव्यय की कटौती रोकी जाने की अपेक्षा की गयी है। सरकारी व्यय का स्वरूप सब्सिडी और अंतरणों की लागत पर सरकारी निवेश की ओर परिवर्तित होने की अपेक्षा है। सरकारी निवेश द्वारा सकल मांग का स्तर बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता का विस्तार करने की दोहरी भूमिका निभायी जाने की परिकल्पना की गयी है। जैसा कि दसवीं योजना के दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है इस बात को स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी प्रमाण हैं, कि यह सरकारी निवेश ही है जिसने भारत में मानव और पूंजीगत स्टॉक के निर्माण में सर्वाधिक योगदान दिया है और यह कि निजी निवेश का प्रमुख सहायक भी वही है। सरकारी निवेश की संपत्तियों में ‘अधिकता’ विशेषतः सामाजिक और भौतिक मूलभूत सुविधा में प्रभावशाली है। तदनुसार, केन्द्र के 2003-04 के बजट में स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, रोजगार, कृषि और नियर्यात संवर्धन मार्गदर्शी तत्त्व हैं जो राजकोषीय नीति की गुणवत्ता के मुख्य केंद्र बिन्दु में परिवर्तन के संकेतक हैं। निरंतर समेकन के सभी पहलुओं और विशेषतः पेशन सुधार और आकस्मिक देयताओं संबंधी सीमा, जो राजकोषीय सुधार की प्रगति के दो मुख्य खतरे हैं - के जरिए लोक ऋण की वहनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में लागू किया गया है। आनेवाले वर्षों में योजनाओं की सूची, जोखिम का विशाखीकरण और स्वतंत्र विनियामक निरीक्षण की उपलब्धता के साथ पेशन सुधार को प्राथमिकता प्राप्त होगी। राज्य सरकारों की गारंटी की सीमाओं और उनकी वृद्धि को नियंत्रित रखने के भार में सम्मिलित राजकोषीय जोखिम की पहचान करने और उसके लिए प्रावधान करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। इन संरचनात्मक परिवर्तनों से मध्यावधि में लोक ऋण वहनीय होने की संभावना है।